रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 सितम्बर, 2004/3 आश्विन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 16 सितम्बर, 2004

संख्या: एच० पी० इ० आर० सी०/सचिव/जे० एस० आर०/705/2004.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) खण्ड (यऋ) तथा (यट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन से बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में, प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, पर विचार किया जाएगा ।

1975-राजपत्र/2004-25-9-2004—1,436. (1911) मूल्य : 1 रुपया ।

इस निमित आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमर्शियल काम्पलैक्स, खलिनी, शिमला–171002 को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

भाग-1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2. **परिभाषाएं**:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(2) "नियुक्ति प्राधिकारी" से :–

(क) अनुसूचि–1 के भाग–1 में वर्णित पदों के बारे में, अध्यक्ष तथा

(ख) अनुसूचि–1 के भाग–2 में वर्णित पदों के बारे में, सचिव अभिप्रेत है ;

(3) "संविदात्मक नियुक्ति" से वह नियुक्ति अभिप्रेत है जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सीमित कालावधि के लिये संविदात्मक आधार पर की गई हो ;

(4) "स्थायी आमेलित नियुक्ति" का अभिप्राय: तथा उसके अन्तर्गत इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी अधिकारी या कर्मचारी जिसने अपने मूल संगठन में पद त्याग दिया हो, की नियुक्ति से है ;

(5) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(6) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(7) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(8) "सीधी भर्ती" से ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो सेवा से/में से पदोन्नति, या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार, अथवा केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधीन किसी निगम, बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलित नियुक्ति या संविदात्मक आधार से अन्यथा, चयन द्वारा की गई हो ;

(9) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अनुसूचि–3 में विनिर्दिष्ट आयोग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम हो ;

(10) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(11) "सरकारी सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है, जो राज्य/केन्द्रीय सरकार, राज्य तथा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम, कानूनी निगम/बोर्ड स्वायत निकाय हैं, के अधीन की गई हो ;

(12) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ;

(13) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक बोर्ड" से ऐसा विश्वविद्यालय/बोर्ड अभिप्रेत है जो भारत में विधि द्वारा निर्मित तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति मान्यता प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त हो ;

(14) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(15) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसकी अनुपस्थिति में सचिव के कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिये आयोग द्वारा सीमित कालावधि के लिये प्राधिकृत आयोग का अन्य अधिकारी भी है ;

(16) "चयन समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग में पदों को भरने के लिए सिफारिश करने हेतु बनाई जाए ;

(17) "राज्य विद्युत बोर्ड" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के प्रारम्भ से पूर्व, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, (1948 का 54) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका हित उत्तराधिकारी भी शामिल है ; तथा

(18) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु यहां परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो कि उन्हें अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के अंगीकृत या लागू किये गए मूल और अनुपूरक नियमों (Fundamental & Supplementary Rules) में क्रमशः नियत किये गये हैं ।

भाग-2

पदों के प्रवर्ग तथा भर्ती की रीति

3. पदों के प्रवर्ग.—(1) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवों के प्रवर्ग, उन्हें संदेय वेतनमान तथा उनकी स्वीकृत संख्या वही होगी जैसे अनुसूचि–1 में दर्शित है । आयोग के स्टाफ को देय वेतनमानों तथा भत्तों के विषय में आयोग हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा समय-समय पर, तत्समान पदों के लिए नियत वेतनमान तथा भत्ते अपनाएगा ।

(2) अनुसूची–1 के भाग–1 में दर्शित पद अधिकारी प्रवर्ग के और उक्त अनुसूची के भाग-2 में दर्शित अन्य पद कर्मचारी प्रवर्ग के होगें ।

(3) सरकार के अनुमोदन से, आयोग को समय-समय पर पदों के प्रवर्ग की वृद्धि करने, निकालने और उपान्तरण करने की शक्ति होगी ।

(4) आयोग स्वविवेकानुसार, किसी पद का वेतनमान बदले बिना किसी पद को उसके कृत्य अपेक्षाएं उपदर्शित करने हेतु पुनः पदनामित कर सकेगा । आयोग ऐसे पुनः पदनामित पद नाम को उपांतरित कर सकेगा ।

4. नियुक्ति के लिए पात्रता.—यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे आयोग की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

5. भर्ती की अर्हताएं तथा रीति.—(1) आयोग में पदों के लिये शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव अन्य शर्तें तथा भर्ती की रीति वही होगी जैसे कि अनुसूची–2 में विहित किया गया है । आयोग द्वारा स्टाफ की नियुक्ति :—

(क) स्थायी अमेलित नियुक्ति द्वारा , या

(ख) प्रतिनियुक्ति द्वारा, या

(ग) संविदात्मक आधार पर, या

(घ) सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ।

(2) आयोग को किसी विशेष रिक्ति के लिये या रिक्तियों के वर्ग के लिये या सभी रिक्तियों के लिये भर्ती प्रक्रिया अवधारण करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग के सन्तोषप्रद कार्य संचालन हेतु कुछ आवश्यक सेवाओं की पहचान करने तथा उन्हें सेवा व्यवस्थकों द्वारा प्रतियोगी दर पर कराने का अध्यक्ष को विवेकाधिकार होगा । इन सेवाओं में कार्यालय सुरक्षा तक सीमित न रहते हुये, कार्यालय में धूल झाड़ना व सफाई करना, संदेशवाहक, स्वागतकर्ता तथा अन्य विशिष्ट सेवाएं जिनके लिये आयोग के लिये स्वीकृत पदों का प्रावधान नहीं है, भी शामिल होंगी।

6. **स्थायी आमेलित नियुक्ति.**---(1) स्थायी आमेलित नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाले पद के लिये पात्रता मानदण्ड अनुसूचि-2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगा :

परन्तु अध्यक्ष को कारणों को लेखबद्ध करके ऐसी पात्रता शर्तों के शिथलीकरण का विवेकाधिकार होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति को जिसे केन्द्र/राज्य सरकार, या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय से स्थायी आमेलित नियुक्ति से तैनात किया गया है को विकल्प होगा कि वह या तो मूल संगठन में की गई सेवा को आयोग में पैन्शन के लिये जोड़े या वह केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मूल संगठन में की गई सेवा के लिये अनुपातः सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करे।

(3) यदि लोक हित में आयोग में किसी पद पर तुरन्त स्थायी आमेलित आधार पर नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्त व्यक्ति आयोग से बातचीत से पारिश्रमिक तय करने में स्वतन्त्र होगा :

परन्तु यह कि यहां नियुक्त व्यक्ति सेवानिवृत्त है या उसने सेवानिवृत्ति ले रखी है तो वह आयोग से बातचीत से' पैन्शन राशि के अतिरिक्त अपना पारिश्रमिक तय कर सकेगा।

(4) स्टाफ जो स्थायी आमेलित नियुक्ति के आधार पर पद ग्रहण करता है, सामान्यतः साधारण भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिये पात्र होगा। तथापि ऐसे मामलों में जब आयोग के अधीन सेवा 10 वर्ष से कम है वह अभिदायी भविष्य-निधि में अभिदाय करने के लिये पात्र होगा और उस दशा में नियोजक अभिदाय आयोग देगा ।

(5) स्थायी आमेलित नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उन से कम अनुकूल नहीं होगी जो अमेलित न होने की दशा में होती ।

(6) यदि स्थायी अमेलित नियुक्त व्यक्ति अपने मूल विभाग/संगठन द्वारा दिये गए निवास स्थान का अधिभोगी है और उसे आयोग में अपनी नियुक्ति के कारण उक्त स्थान को खाली करना पड़ रहा है, तो आयोग उसके लिए उपयुक्त निवास स्थान किराये पर लेकर ऐसे व्यक्ति को प्रतिकृत करेगा ।

(7) स्थायी आमेलित नियुक्त व्यक्ति की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी ।

(8) इस विनियम में इस से पूर्व उपबंधित के सिवाय, अन्य निबन्धन व शर्तें वहीं होंगी जो कि स्थायी आमेलित नियुक्तियों को विनियमित करने के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

7. **प्रतिनियुक्ति.**---(1) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों की रिक्तियां, सरकारी विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या अन्य स्वशासी निकाय से प्रतिनियुक्ति पर भी भरी जा सकेगी। आयोग, समय-समय पर प्रतिनियुक्ति से भरी जाने वाली रिक्तियां तथा प्रतिनियुक्ति की कालावधि अवधारित करेगा।

(2) सभी सेवा प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम और अन्य स्वशासी निकाय से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए व्यक्तियों का पूर्व सेवाकाल चलत सेवा माना जाएगा।

(3) केन्द्र सरकार, या यथास्थिति राज्य सरकार, द्वारा विहित मानक निबन्धन व शर्तें वेतन नियतन विनियमित करेगी ।

(4) आयोग में प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख को मूल निबन्धनों व शर्तों के अनुसार बकाया उधारों, अग्रिमों तथा अन्य राशियों का प्रतिसंदाय करने के लिये या अन्यथा सरकार से, या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों से या स्वशासी निकाय से की गई वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने के लिये, आयोग, या यथा-स्थिति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से करार किया गया समझा जायेगा ।

(5) स्टाफ जो प्रतिनियुक्ति पर पद ग्रहण करता है, अपने उस भविष्य निधि में जिसके वह मूल विभाग में अभिदाता है, अभिदाय करने के लिये पात्र होगा। यदि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अभिदायी भविष्य निधि का अभिदाता है तो उस दशा में प्रत्येक मामले में जैसे लागू हो नियोजक अभिदाय आयोग देगा।

(6) आयोग, उन व्यक्तियों जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करते हैं के सम्बन्ध में, अनुपातत: छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय का संदाय करेगा।

(7) वह व्यक्ति जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर सेवा ग्रहण करता है, जब तक कि आयोग साधारण अथवा विशेष निर्देश द्वारा अन्यथा निदेशित नहीं करता है, इन विनियमों के विनियम 3 के उप-नियम (1) के अध्यधीन उपबन्धित वेतन तथा भत्ते लेगा या उसे विकल्प होगा कि वह अपना वेतन व भत्ते उसी वेतनमान में ले जिसमें वह अपने मूल विभाग/संगठन में अपना वेतन व भत्ते लेता और उस दशा में जब नियुक्ति स्थान वही है तो मूल वेतन की 5 प्रतिशत तथा जब नियुक्ति भिन्न स्थान से की जाती है तो मूल वेतन की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा।

(8) यह होते हुए भी कि किसी ने आयोग में अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं की है, अध्यक्ष को, यह अवधारित करने पर कि उक्त व्यक्ति की सेवाएं अब आयोग में वांछित नहीं है, किसी भी प्रतिनियुक्त व्यक्ति को मूल विभाग में प्रत्यावास्ति मन्जूर करने का विवेकाधिकार होगा।

8. **संविदात्मक नियुक्ति.**—(1) अनुभवी व अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी अभिप्राप्त करने हेतु, अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पद उचित व्यक्तियों की संविदात्मक नियुक्ति से भी भरे जा सकेंगे।

(2) संविदात्मक सीधी भर्ती की दशा में, प्रत्येक मामले में समेकित वेतन पैकेज निश्चित किया जायेगा और वह संविदा की अवधि के दौरान निश्चित रहेगा।

(3) जब किसी संविदा का विस्तार या नवीकरण का निश्चय किया जाता है, तो आयोग अपने विवेकानुसार पारिश्रमिक पुनरीक्षित कर सकेगा।

(4) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं, अच्छा और पर्याप्त कारण अभिलिखित करके, एक महीने की सूचना देने या इसके बदले में वेतन पैकेज की अदायगी करके समाप्त की जा सकेंगी।

(5) आयोग में अधिवर्षिता सेवा निवृत्त केवल संविदात्मक नियुक्ति के पात्र होंगे और संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवारत नहीं रहेगा।

9. **चयन समिति.**—(1) सचिव के पद के सिवाये विभिन्न पदों पर नियुक्तियां चाहे वे नियमित आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर या संविदात्मक आधार पर की जानी हों, चयन समिति की सिफारिश से की जाएंगी।

(2) चयन समिति का निम्न गठन होगा :—

(क) अधिकारियों के पदों के लिए :—

(1) आयोग के अध्यक्ष (पीठासीन);
(2) अध्यक्ष द्वारा नामित आयोग का एक सदस्य;
(3) अध्यक्ष द्वारा नामित कार्यपालक निदेशक ;
(4) सचिव (सदस्य सचिव)।

(ख) कर्मचारियों के पदों के लिए :—

(1) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य (पीठासीन) ;
(2) सम्बन्धित प्रभाग प्रमुख ;
(3) सचिव (सदस्य सचिव)।

(3) जब तक कि आयोग एक सदस्यीय आयोग रहता है तब तक इस विनियम के उप-विनियम (2) के खण्ड (क) के पैरा (2) के उपबन्धों को लागू नहीं किया जायेगा।

(4) चयन समिति अपनी सहायता के लिए एक या दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी।

(5) चयन समिति स्वविवेकानुसार समय-समय पर, अध्यक्ष के परामर्श से विभिन्न पदों के लिये अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया बनाएगी।

10. **नियुक्ति प्रतिक्रिया**.—(1) आयोग सीधी भर्ती द्वारा या संविदात्मक आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों को दो अग्रग दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित करेगा। ऐसी रिक्तियां, जहां कहीं अपेक्षित हो, रोजगार कार्यालय को भी अधिसूचित की जाएंगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, भावी अभ्यर्थियों को, अपनी अपनी विशिष्टियों सहित, आवेदन, देने के लिए कम से कम 8 (आठ) सप्ताह का समय देते हुए, नौकरी की अपेक्षाओं, वांछित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक अर्हताओं, वेतन संरचना इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे सहित, सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा अन्य स्वशासी निकायों में परिचालित की जाएगी। तथापि विवशनीय परिस्थितियों में, कारण अभिलिखित करके, ये अवधि घटा कर 6 (छ) सप्ताह तक की जा सकेगी।

(2) ऐसे विज्ञापन/परिपत्र के साथ आवेदन देने की अन्तिम तारीख तथा उन स्थानों का ब्यौरा, जहां पर चरित्र/आयु/अधिवास/शैक्षणिक अर्हताओं के वांछित प्रमाण-पत्र पेश करने हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथाविहित आवेदन रूपविधान भी अधिसूचित/परिचालित किया जाएगा।

(3) पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी। संविदात्मक आधार पर नियुक्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा लागू नहीं होगी। आयु सीमा के अवधारण हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश किन्नौर और लाहौल व स्पिति ज़िलों तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल, अण्डेमान एवं निक्कोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र प्राप्ति के लिये विहित अन्तिम तारीख)। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में यथोचित छूट दी जा सकेगी।

(4) राज्य सरकार की नीति अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए रिक्तियां आरक्षित की जायेंगी।

(5) विहित अवधि के भीतर प्राप्त आवेदन चयन समिति के आगे रखे जाएंगे। प्रारम्भिक समीक्षा के दौरान व्यष्टिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में दिए गए ब्यौरे को सारणीबद्ध रूप में उपदर्शित किया जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्रों के साथ संलग्न शंसापत्रों व प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा, यह दर्शाते हुए कि अभ्यर्थी पात्रता मानदण्ड की पूर्ति करता है/या नहीं करता है, का भी उल्लेख किया जाएगा।

(6) उक्त सूचना के आधार पर, चयन समिति 7 दिन की कालावधि के भीतर, चयन प्रक्रिया की आगामी कार्रवाई विनिश्चित करेगा। यह उन अभ्यर्थियों को, जो लगते हैं कि नौकरी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, वैयक्तिक साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुला सकेगी, या कारण अभिलिखित करके आवेदन पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर उनका चयन कर सकेगी।

(7) चयन समिति, अपेक्षित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में, या तो नए सिरे से आवेदन लेने का निश्चय कर सकती है या नियुक्ति प्राधिकारी को निर्विवाद सुपात्र मामलों में प्रत्याशित नियुक्ति प्रस्ताव भेजने के लिए वेतन संरचना में समुचित कटौती के साथ पात्रता शर्तों में उपान्तरण की सिफारिश कर सकती है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और चयन समिति द्वारा बनाई गई चयन सूचि (मैरिट लिस्ट) विनिर्दिष्ट तारीख को आयोग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। पैनल पर रखने के लिए चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर सूची भी बनाएगा,

जिन्हें उस स्थिति में जब कभी युक्तियुक्त समय के भीतर सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सके ।

(8) सामान्यत : पैनलित अभ्यर्थियों की संख्या 3 (तीन) से अधिक नहीं होगी और पैनेल चयन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 6 (छ) मास के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा ।

(9) उचित अभ्यर्थियों के न मिलने की दशा में यदि चयन प्रक्रिया पुन: प्रवर्तित की जाती है, तो ऊपर्रा सूचीबद्ध समस्त प्रक्रिया का फिर से अनुसरण किया जाएगा ।

11. **नियुक्तिपर्यन्त औपचारिकताएं**—(1) सफल अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति के बारे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया जाएगा तथा उन्हें पद ग्रहण करने के लिए 2 (दो) सप्ताह का समय दिया जाएगा और उस दशा में यदि वे नियत समय में पद ग्रहण करने में असफल रहते हैं, तो नियुक्ति प्रस्ताव रद्द हो जाएगा । किन्तु उचित मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करके, इस शर्त का शिथिलीकरण करते हुए युक्तियुक्त कालावधि नियत कर सकेगा ।

(2) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से, उनके चयन के पश्चात् उनके पद ग्रहण के 2 (दो) सप्ताह के भीतर, चिकित्सीय बोर्ड, जिसे राज्य सरकार ने ऐसा करने के लिये अधिसूचित किया हुआ हो, से चिकित्सीय परीक्षण की अपेक्षा की जाएगी । चिकित्सीय परीक्षण में असफलता उनके नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का कारण हो सकेगी । राज्य के किसी राजकीय चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परामर्श के पश्चात् तथा यह तुष्टि होने पर कि चिकित्सीय स्थिति या निःशक्तता का स्वरूप ऐसा है जिस से नियुक्त व्यक्ति को आयोग द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्यों के सामान्यत: निर्वहन बाधित नहीं होता है, अध्यक्ष को इस शर्त का शिथलीकरण करने का विवेकाधिकार होगा ।

(3) नियुक्ति प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्ति पत्र केवल चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्युत आयोग में सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक/अनुभव/अधिवास तथा जाति के विभिन्न प्रमाणपत्रों की असली प्रतियां प्रस्तुत करने पर ही भेजा जाएगा । नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की असफलता नियुक्ति प्रस्ताव को रद्द करने का कारण बनेगी ।

(4) नियुक्तियों के रद्द करने के ऐसे मामलों में, अगले पैनलित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव उसी रीति, जिसमें मूल चयनित अभ्यर्थी को भेजा गया था, से भेजा जाएगा ।

(5) सीधी भर्ती की दशा में, आयोग उस रीति से, जैसे वह ठीक समझे, नियुक्त व्यक्तियों के चरित्र व पूर्ववृत सत्यापित करवाएगा और उस दशा में जब उक्त सत्यापन मे यह निष्कर्षित होता है कि नियुक्त व्यक्ति आयोग की सेवा में रखने योग्य नहीं है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जाएगी । इसके लिए नियुक्त व्यक्ति किसी भी प्रतिकर या आर्थिक अर्थलाभ का हकदार नहीं होगा । उन अभ्यर्थियों की दशा में जो आयोग में पद ग्रहण करने से पहले ही केन्द्रीय व राज्य सरकार की सेवा में या किसी संगठन पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी सरकारी संगठन की सेवा में हैं, सत्यापन आवश्यक नहीं होगा ।

12. **परिवीक्षा**— (1) सभी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगें :

परन्तु परिवीक्षा अवधि में अर्जित छुट्टी या असाधारण छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी की अवधि या अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि शामिल नहीं होगी ।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति का काम आयोग को संतोषप्रद नहीं लगता है, तो परिवीक्षा अवधि में विस्तार, जो एक वर्ष से अधिक न हो, किया जा सकेगा या आयोग द्वारा एक महीने का वेतन संदाय कर के नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जा सकेंगी ।

(3) सामान्यतः परिवीक्षा अवधि विस्तारण का विनिश्चय, पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से 6 (छ) सप्ताह के भीतर लिया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी को कारण दर्शाते हुए लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा ।

13. **अनुशासनिक/अपील प्राधिकारी.**—आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में, अनुसूची-3 में यथाविहित, अनुशासनिक अपील तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी होंगे ।

भाग–III विविध

14. **अन्य सेवा शर्तें**—आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों को, जिनके लिये इन विनियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है या अपर्याप्त उपबन्ध है, ऐसे नियम तथा आदेश जो राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये बनाये या लागू करें, लागू होंगे ।

15. **भत्ते तथा अन्य सुविधाएं**—(1) ऐसे मापमान पर तथा ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन, जो राज्य विहित करे समय-समय पर अपने कर्मचारियों को लाग करे, आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी:—

(क) महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता, राजधानी भत्ता, वाहन भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता, विद्युत तथा मकान भत्ता लेने ;

(ख) गृह यात्रा/अवकाश यात्रा रियायत, समाचार पत्र और पत्रिका सुविधा प्राप्त करने ;

(ग) चिकित्सीय व्यय तथा आवासीय टेलिफोन की प्रतिपूर्ति का दावा करने; तथा

(घ) कार्यालय तथा आवास पर इन्टरनैट सुविधा लेने, के हकदार होंगे ।

(2) आयोग अपने कृत्यों के प्रभावी व दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यथोचित वास सुविधा की व्यवस्था करेगा या निजी मकान किराये पर ले कर देगा ।

16. **केन्द्रीय सरकार के नियमों का लागू होना.**—(1) केन्द्रीय सरकार के निम्न नियम, जिन्हें राज्य सरकार, अपनाये, आयोग में, चाहे प्रतिनियुक्ति पर या स्थायी आमेलित नियुक्ति पर या संविदात्मक नियुक्ति पर या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवारत कर्मचारियों को लागू समझे जाएंगें :—

(क) सैन्ट्रल सिविल सर्विस (कन्ट्रोल, क्लासीफिकेशन एण्ड अपील) रूल्ज़ ;

(ख) सैन्ट्रल सिविल सर्विस (कन्डक्ट) रूल्ज़;

(ग) सैन्ट्रल सिविल सर्विस (लीव) रूल्ज़;

(घ) सैन्ट्रल सर्विस (मैडिकल अटैंडेन्टस) रूल्ज़;

(ङ) सैन्ट्रल सिविल सर्विस (संविदात्मक नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त) ;

(च) फन्डामैन्टल रूल्ज़ और स्पलीमैंट्री रूल्ज़ ;

(छ) जनरल प्रोविडैन्ट फण्ड रूल्ज़/कन्ट्रीब्यूट्री प्रोविडैन्ट फण्ड रूल्ज़;

(ज) टैम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेन्ट रूल्ज़ (उन व्यक्तियों को छोड़ जिन्हें आयोग सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करता है और परिवीक्षा पर रखे जाते हैं और जो संविदात्मक आधार पर नियुक्त किये जायें) ; तथा

(झ) आयोग के कर्मचारियों को (क) से (ज) में निर्दिष्ट नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, परन्तु अधिवर्षिता आयु आयोग के स्थायी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष होगी और जो व्यक्ति संविदात्मक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिये 70 वर्ष होगी ।

17. आचरण:—(1) आयोग का प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी सदा अपने कर्तव्य के प्रति आत्यांतिक सत्यनिष्ठा एवं निरंतता बरकरार रखेगा ।

(2) आयोग का अधिकारी/कर्मचारी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो आयोग में सुव्यवस्था और अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो ।

(3) यहां तक वे आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के असंगत न हो ऐसे नियम और आदेश जो तत्समय प्रवृत्त हों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू किये गये हों यथावश्यक परिवर्तन सहित आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे ।

18. व्यावृत्तियां—इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व आयोग द्वारा की गई कोई नियुक्ति या कोई बात या की गई कार्रवाई, इन विनियमों के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएगी और अधिकारी तथा कर्मचारी इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गये समझे जाएंगें तथा वे एक वर्ष तक या उनकी विद्यमान नियुक्ति की अवधि के अवसान तक, जो भी कम हो, अपने पद उन्हीं निबन्धनों व शर्तों, जिन पर नियुक्त किये गये थे, पर अपने पद धारित करते रहेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसी नियुक्तियां इन विनियमों के अधीन की जाएगीं ।

19. कठिनाईयों को दूर करना.— यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से, ऐसे लिखित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्धित कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

आयोग के आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
निदेशक (टी0 ई0),
हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग,
शिमला ।

अनुसूचि–I
[(विनियम 2(2) तथा 3 देखें)]

वेतनमान तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृति संख्या
1	2	3	4
	भाग–1 अधिकारी		
1.	आयोग का सलाहकार	आयोग द्वारा परकाभ्य	1
2.	सचिव	18600—23100	1
3.	कार्यपालक निदैशक	18600—23100	3
4.	निदेशक	15800—21100	4
5.	संयुक्त निदेशक	13500—16800	2
6.	उप-निदेशक	12500—19100	13

1	2	3	4
7.	उप-सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन)	12900 — 16700	1
8.	कार्मिक एवं प्रशासनकि अधिकारी (जो आगे को अवर सचिव पदनामित किया जाएगा)	10700—15350	1
9.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10700 — 15350	1
10.	वरिष्ठ निजि सचिव	10700—15350	1
11.	वरिष्ठ विधि अधिकारी (न्यायिक)	10700 — 15350	1
12.	वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी)	10700—15350	1
13.	सोफ्टवेयर इंजिनियर	7750 — 14500 (8550 से प्रारम्भ)	1
14.	कार्यक्रमक	7750 — 14500 (8550 से प्रारम्भ)	1
15.	अनुभाग अधिकारी	7750—13300	1
16.	रीडर	7750—13300	1
17.	निजी सचिव	7750 - 13300	5

भाग–2 कर्मचारी

1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	6750 — 11050	1
2.	निजि सहायक	7250—11400	7
3.	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर एवं कम्पयुटर ओपरेटर	6750—11050	8
4.	लेखाकार	6750 — 11050	1
5.	वरिष्ठ सहायक एवं कम्पयुटर ओपरेटर	6300—10700	6
6.	खजांची	6300—10700	1
7	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	6300 — 10700	1
8.	स्वागतकर्ता	3480—6500	1
9.	कनिष्ठ सहायक एवं कम्पयुटर ओपरेटर	4600—7250	2
10.	चालक	4600 — 7250	7
11.	अहलमद	3480—6500	1
12.	दफतरी	2930 — 5300	1
13.	जमादार/हवलदार	2930—5300	5
14.	चपड़ासी	2720 — 4775	8
15.	आदेशिका तामीलकर्ता	2720 — 4775	2

अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती अर्हताएं, अनुभव तथा रीति

अनुसूची–II
(विनियम 5 देखें)

क्रमांक	पद नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	पद संख्या	भर्ती पद्धति	अपेक्षित/वांछनीय शैक्षणिक अर्हताएं	
						अपेक्षित अर्हताएं	वांछनीय अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आयोग का सलाहकार	वर्ग–1 (राजपत्रित)	आयोग द्वारा पराक्राभ्य	1	संविदा द्वारा	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि/अधिवक्ताओं, अकांउटैंटो तथा अभियन्ताओं के बारे में संबद्धवृतिक अर्हताएं ही न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होंगी ; (ख) उर्जा, विधि, वित्त प्रबन्धन, लेखा-वर्ग तथा अर्थशास्त्र के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता एवं अनुभव; (ग) लिखित व मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	(क) संबद्ध क्षेत्र में पी0 एच0 डी0 की उपाधि ; (ख) अवसंरचनात्मक सैक्टर जैसे विद्युत / दूरसंचार पतन (पोर्ट)/सड़कें/तैल इत्यादि में विनियामिक काम का अनुभव ; (ग) क्षेत्र में श्रेष्ठता
2	सचिव	वर्ग–1 (राजपत्रित)	18600-500-23100	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या कम्पनी सचिव; (ख) अधिकारी, जो सदृश पदधारक हो या 15,800-21100 के वेतनमान में किसी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0 बी0 ए0 की उपाधि ; (ख) सरकारी संगठन में कार्यकरण अनुभव ;

1	2	3	4	5	6	7	8
						पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर चुका हो; या भारतीय प्रशासनिक सेवा में 10 वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुका हो ; या हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में 15 वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुका हो ; (ग) जटिल कार्यों के प्रबन्धन की प्रशासनिक योग्यता ; (घ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता एवं साक्षरता ; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	(ग) प्रशासनिक ज्ञान या किसी उद्योग या किसी विनियामक निकाय या न्यायिक निकाय में विनियामक काम का अनुभव;
क: तकनीकी विश्लेषण प्रभाग :							
3	कार्यपालक निदेशक (तकनीकी विश्लेषण)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	18600-500-23100	1	प्रति नियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या संविदा या इसके समकक्ष उपाधि; (ख) 15 वर्ष का इंजीनियरी अनुभव,	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या उर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) विद्युत टैरिफ

					जिसमें कम से कम किसी बड़ी लोकोपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों में प्रबंधिक स्तर पर 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो ; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने 15800–21100 के वेतनमान में किसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर 3 वर्ष की नियमति सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्प्युटर कुशलता एवं साक्षरता ; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	वाणिज्य विवादको तथा विद्युत क्रय, करारों के सम्बन्ध में अनुभव; (ग) विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत उपयोगिताओं के काम काज के अभिदर्शन का अनुभव; (घ) आर्थिक एवं वित्तीय नियमन में अनुभव या प्रशिक्षण; (ङ) प्रतिरूपन विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता ।	
4	निदेशक (पारेषण एवं वितरण)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	15800–450–17600–500–21100.	1	प्रति नियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) 12 वर्ष का इंजीनियरी अनुभव, जिसमें कम से कम	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/उर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) किसी विद्युत

1	2	3	4	5	6	7	8
						किसी बड़ी लोकोपयोगिता विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों में प्रबन्धिक स्तर पर 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो ; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने 12500–19100 के वेतनमान में किसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्पयुटर कुशलता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	उपयोगिता में विद्युत पारेषण तथा वितरण तन्त्र के डिजाइन; निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव; (ग) विद्युत टैरिफ, वाणिज्य विवाधकों तथा विद्युत क्रय करारों के सम्बन्ध में अनुभव; (घ) विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत उपयोगितायों के काम काज के अभिदर्शन का अनुभव ; (ङ) आर्थिक एवं वित्तीय नियमन में अनुभव अथवा प्रशिक्षण; (च) प्रतिरूपण विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता ।
5	उपनिदेशक (पारेषण)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	12500–400–14900–450–17600–500–19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारे-	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत /ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) किसी विद्युत

					षण तथा वितरण सुसाध्यतायों का 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक 8850-सहित) 7750-14500 या उसके समतुल्य वेतनमान वाले किसी पद पर केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकार में, 5 वर्ष की नियमति सेवा की हो ; (घ) प्रभा वीकम्प-यूटर कुशलता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	उपयोगिता में विद्युत पारेषण तथा वितरण तन्त्र के डिजाईन, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव; (ग) विद्युत उद्योग में अनुज्ञापन, आर्थिक तथा वित्तीय काम का ज्ञान ; (घ) विद्युत टैरिफ विवादकों से सुपरिचय ।	
6.	उप-निदेशक (विद्युत वितरण)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	12500–400–14900–450–17600–500–19100	1	प्रति नियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों का 7	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) विद्युत उद्योग में अनुज्ञापन, आर्थिक तथा वित्तीय काम

1	2	3	4	5	6	7	8
						(सात) वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी, या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/- सहित) 7750-14500 या उसके समतुल्य वेतनमान वाले किसी पद पर केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय / राज्य सरकार में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (घ) प्रभावी कम्प्युटर कुशलता एवं साक्षरता ; (ड) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	का ज्ञान ; (ग) विद्युत वितरण तन्त्र, जिसमें विद्युत वितरण का वाणिज्य पहल (मीटरिंग, बिलिंग तथा संग्रहण इत्यादि) भी आता है के डिजाइन/योजना/प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव; (घ) विद्युत टैरिफ विवाधकों से सुपरिचय ।
7	उप-निदेशक (अनुज्ञापन तथा खुली पहुंच) ।	वर्ग-1 (राजपत्रित)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	प्रति नियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0बी0 ए0 की उपाधि;

					विद्युत उत्पादन परेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों का 7 (सात) वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/-सहित) 7750-14500 या उसके समतुल्य वेतनमान वाले किसी पद पर केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकार में, 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्पयुटर कुशलता एवं साक्षरता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	(ख) भार (Load) पूर्वानुमान, संसाधन योजना, ऊर्जा उपापन, तथा प्रचालन पद्धति, विद्युत क्रय करार, न्यूनतम लागत की योजना तथा प्रेषण में अनुसूचाकरण अनुभव ; (ग) विद्युत व्यापार, अनुज्ञापन और आर्थिक तथा वित्तीय काम का ज्ञान ; (घ) वाणिज्य विवाधकों/विद्युत क्रय करारों, प्रतिरुपण विश्लेषण तथा विद्युत विधियों का अनुभव; (ङ) विद्युत टैरिफ विवाधकों से सुपरिचय ।	
8	निदेशक (विद्युत उत्पादन)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	15800–450–17600–500–21100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत के ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) 12 वर्ष का इंजीनियरी अनुभव जिसमें किसी बड़ी विद्युत	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि;

1	2	3	4	5	6	7	8
						उपयोगिता में प्रबन्धकीय स्तर पर विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों का कम से कम 5 (पांच) वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी; या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने 12500–19100 के वेतनमान में किसी पद पर, या उसके समकक्ष पद पर, 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्प्युटर कुशलता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता।	(ख) जल-विद्युत केन्द्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव; (ग) विद्युत टैरिफ, वाणिज्य विवादकों तथा विद्युत क्रय करारों के सम्बन्ध में अनुभव; (घ) विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत उपयोगिताओं के काम काज के अभिदर्शन का अनुभव; (ङ) आर्थिक एवं वित्तीय नियमन में अनुभव अथवा प्रशिक्षण; (च) प्रतिरूपण विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता।
9.	उप-निदेशक (विद्युत उत्पादन)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	12500–400–14900–450–17600–500–19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि;	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि;

					(ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों का 7 (सात) वर्ष का अनुभव;	(ख) जल-विद्युत पलांट के डिजाइन, योजना, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव;	
					(ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी; या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/- सहित) 7750–14500 या उसके समतुल्य वेतन-मान में केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ केन्द्रीय/राज्य सरकार में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो;	(ग) तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्टों के बनाने, लागत प्राक्कलन परियोजना प्रबन्धन विद्युत क्रय करारतथा नवीनकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का अनुभव;	
						(घ) वाणिज्य विवादकों/विद्युत क्रय करारों. प्रतिरूपण. विश्लेषण तथा विद्युत विधियों का अनुभव;	
					(घ) प्रभावी कम्प-युटर कुशलता एवं साक्षरता;	(ङ) विद्युत टैरिफ विवादकों से सुपरिचय ।	
					(ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।		
10	उप-निदेशक (सह-उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	12500–400–14900–450–17600–500–19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि;	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यतायों का 7 (सात) वर्ष का अनुभव ; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत, अधिकारी; या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/- सहित) 7750–14500 या उसके समतुल्य वेतनमान में केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपकम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ केन्द्रीय/ राज्य सरकार में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता एवं साक्षरता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसचन में उत्कृष्टता ।	एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) जल-विद्युत प्लांट के डिजाईन, योजना, प्रचालन तथा अनुरक्षण का अनुभव ; (ग) तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट बनाने लागत प्राक्कलन, परियोजना प्रबन्धन, विद्युत क्रय करार तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का अनुभव; (घ) वाणिज्य विवाधकों/विद्युत क्रय करारों प्रतिरूपण विश्लेषण तथा विद्युत विधियों का अनुभव; (ङ) विद्यत टैरिफ विवाधकों से सुपरिचय ।
11	उप-निदेशक (व्यापार)	वर्ग–1 (राजपत्रित)	12500–400–14900–450–17600–500–	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या	(क) मान्यता प्राप्त विवश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी

19100.	सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यताओं का 7 (सात) वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/- सहित) 7750—14500 या उसके समतुल्य वेतन-मान वाले किसी पद पर केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम या राज्य सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकार में, 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) प्रभावी कम्पयुटर कुशलता एवं साक्षरता; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि ; (ख) भार प्रेषण केन्द्र या अंतरराज्यिक ऊर्जा क्रय/विक्रय का अनुभव ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख)	**टैरिफ तथा वित्तीय विश्लेषण प्रभाग :**						
12.	कार्यपालक निदेशक (टैरिफ तथा वित्तीय विशलेषण) ।	वर्ग-1 (राजपित्रत) ।	18600-500-23100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थाई आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वित्त या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या चार्टर्ड एकाउंटैंट, या विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरिंग में बी0 ई0/बी0 टैक की उपाधि; (ख) वृत्तिक अर्थ-शास्त्री या वित्त विशे-षज्ञ के रूप में या व्यावसायिक/इंजीनियरिंग में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण सुसाध्याताओं में प्रबंध-कीय स्तर पर कम से कम 5 (पांच) वर्ष का अनुभव हो ; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी, या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने 15800—21100 के	(क) अर्थशास्त्र या वित्त में पी0 एच0 डी0 की उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) विद्युत टैरिफ, वाणिज्य विवाधकों तथा विद्युत क्रय करारों के सम्बन्ध में अनुभव ; (ग) विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत उपयोगिताओं के कामकाज का अनुभव तथा उसके अभिदर्शन करने की योग्यता । (घ) आर्थिक तथा वित्तीय नियमन में अनुभव या प्रशिक्षण; (ङ) प्रतिरूपण विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता ।

						वेतनमान में किसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (घ) ऊर्जा क्षेत्र उपयोगिताओं में टैरिफ निपटान का अनुभव ; (ङ) लेखा-बही संवेष्टन (पैकेज) प्रभावी काम्प्यूटर कुशलता एवं साक्षरता ; (च) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	
13.	निदेशक टैरिफ (इंजीनियरिंग) ।	वर्ग-1 (राजपत्रित) ।	15800-450-17600-500-21100.	1	प्रतियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरिंग में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि; (ख) 12 वर्ष का इंजीनियरी अनुभव, जिसमें किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में प्रबन्धकीय स्तर पर विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सुसाध्यताओं का कम से कम 5(पांच) वर्ष का अनुभव हो; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या ऊर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) विकसित एवं विकासशील देशों में विद्युत उपयोगिताओं के काम-काज का अनुभव तथा उसके अभिदर्शन करने की योग्यता ; (ग) प्रतिरूपण विश्लेषण में प्रतिदर्शित क्षमता ;

1	2	3	4	5	6	7	8
						या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकार में 12500—19100 के वेतनमान में किसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (घ) टैरिफ अवधारण, वाणिज्य विवादकों तथा विद्युत क्रय करारों के सम्बन्ध में अनुभव ; (ङ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता; (च) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	(घ) आर्थिक एवं वित्तीय नियमन में अनुभव अथवा प्रशिक्षण ।
14.	निदेशक (अर्थशास्त्र) टैरिफ ।	वर्ग-1 राजपत्रित ।	15800-450-17600-500-21100.	1	प्रतिनियुक्त या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि; (ख) किसी बड़ी वाणिज्य संगठन (अधिमानत: विद्युत उद्योग में) किसी ज्येष्ठ अधिकारी के पद पर वृतक अर्थशास्त्री के रूप में 12 वर्ष का अनुभव ।	(क) अर्थशास्त्र में पी0 एच0 डी0 की उपाधि या उसके समकक्ष ; (ख) प्रतिरूपण/विश्लेषण तथा आर्थिक विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता ; (ग) विनियामक लेखा तथा साधारण व्यवसाय लेखा प्रक्रिया का अनुभव ।

					(ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम/अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार में 12500—19100 के वेतनमान में किसी पद पर या उसके समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (घ) ऊर्जा सैक्टर उपयोगिताओं में टैरिफ अवधारण का अनुभव; (ङ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता ; (च) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।		
15.	निदेशक टैरिफ (वित्त)	वर्ग-1 राजपत्रित ।	15800-450-17600-500-21100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से वित्त में स्नातकोत्तर उपाधि; (ख) किसी बड़ी वाणिज्य संगठन (अधिमानता विद्युत उद्योग में) किसी ज्येष्ठ, अधिकारी के पद पर	(क) वित्त में पी0 एच0 डी0 की उपाधि या उसके समकक्ष; (ख) प्रतिरूपण/विश्लेषण तथा आर्थिक विश्लेषण में प्रदर्शित क्षमता;

1	2	3	4	5	6	7	8
						वित्त सलाहकार अथवा विश्लेषक के रूप में 12 वर्ष का अनुभव; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार में 12500—19100 या उसके समकक्ष वेतनमान वाले किसी पद पर 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) ऊर्जा सैक्टर उपयोगिताओं में टैरिफ अवधारण का अनुभव; (ङ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता; (च) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता।	(ग) विनियामक लेखा तथा साधारण व्यवसाय लेखा प्रक्रिया का अनुभव।
16.	उप-निदेशक टैरिफ (इंजीनियरिंग)।	वर्ग-1 राजपत्रित।	12500-400-14900-450-	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से

17600-500-19100.	या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	विद्युत/ऊर्जा इंजीनियरी में स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि ; (ख) किसी बड़ी विद्युत उपयोगिता में विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण सुसाध्यताओं का 7 (सात) वर्ष का अनुभव ; (ग) सदृश पद पर उपरोक्त अनुभव रखने वाले कार्यरत अधिकारी या उपरोक्त अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जिसने (प्रारम्भिक वेतन 8850/- सहित) 7750--14500 या उसके समतुल्य वेतनमान में केन्द्रीय सरकार पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय/राज्य सरकार में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो ; (घ) टैरिफ अवधारण, वाणिज्य विवाधकों तथा विद्युत क्रय करारों का अनुभव ; या विद्युत पारेषण तथा वितरण के प्रत्यक्ष परिचालन का अनुभव ;	विद्युत/उर्जा इंजीनीयरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि या उर्जा प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 की उपाधि; (ख) आर्थिक तथा वित्तीय मामलों का ज्ञान; (ग) वाणिज्य विवाधकों, विद्युत क्रय करारों, प्रतिरूपण विश्लेषण तथा विद्युत विधियों का अनुभव ; (घ) विद्युत टैरिफ अवधारण विवाधकों से सुपरिचय ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
						राज्य सरकार में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा की हो; (घ) ऊर्जा क्षेत्र उपयोगिताओं में टैरिफ अवधारण का अनुभव; (ङ) प्रभावी कम्प्यूटर कुशलता तथा साक्षरता ; (च) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	
(ग) **विधि प्रभाग :**							
19.	कार्यपालक निदेशक (विधि)	वर्ग-1 राजपत्रित ।	18600-500 23100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि स्कूल से विधि की उपाधि; (ख) विधि व्यवसाय की पात्रता; (ग) विधिक मामलों के निपटाने का 15 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव; या (घ) सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 16750-400-19150-450-21850-500-22850 के वेतनमान में किसी पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो या	(क) विधि में स्नातकोत्तर उपाधि; (ख) विनियामक विधि/प्रक्रिया का समुचित ज्ञान ; (ग) विधिक परामर्श देने तथा अधिनियमों विनियमों तथा विधियों के निर्वचन एवं प्रारूपण करने का अनुभव ; (घ) अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों इत्यादि के हिन्दी पाठ तैयार, अनुमोदित तथा अधिप्रमाणित करने का अनुभव ; (ङ) विधान सभा प्रक्रिया एवं कारबार

					उपरोक्त अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्होंने 15800—21100 या उसके समतुल्य वेतनमान के किसी पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता तथा प्रशासनिक संविदा तथा वाणिज्य विधि का विशेष ज्ञान।	संचालन नियमों, विशेषतया विधान सभा पटल पर नियमों एवं विनियमों तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, को रखने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान ; (च) कम्पयूटर साक्षरता ;	
20.	संयुक्त निदेशक (न्यायिक)	वर्ग-1 राजपत्रित	13500-400-15900-450-16800.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि स्कूल से विधि की उपाधि; (ख) विधि व्यवसाय की पात्रता; (ग) किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में विधिक मामलों के निपटाने का 12 वर्ष अनुभव; (घ) सदृश पद या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्हें 10025—15100 के वेतनमान में या उसके समतुल्य वेतनमान के किसी पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो ; (ङ) लिखित तथा	(क) विधि में स्नातकोत्तर उपाधि; (ख) विनियामक विधि / प्रक्रिया का समुचित ज्ञान; (ग) केन्द्रीय / राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर विधिक मामलों का विशेषतया विधिक परामर्श देने तथा अधिनियमों, विनियमों, विधान तथा वाणिज्यिक करारों तथा दस्तावेजों का निर्वचन एवं प्रारूपण करने का अनुभव; (घ) कम्पयूटर साक्षरता।

1	2	3	4	5	6	7	8
						मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	
21.	संयुक्त निदेशक (परामर्श एवं प्रारूपण) ।	वर्ग-1 राजपत्रित ।	13500-400-15900-450-16800.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि स्कूल से विधि की उपाधि; (ख) विधि व्यवसाय की पात्रता : (ग) केन्द्रीय/ राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में विधिक मामलों के निपटाने का 2 वर्ष का अनुभव ; (घ) किसी केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्र/राज्य सरकार में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिसे 10025--15100 या उसके समतुल्य वेतन-मान के पद पर 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव हो; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता;	(क) विधि में स्नातकोत्तर उपाधि; (ख) विनियामक विधि/प्रक्रिया का समुचित ज्ञान ; (ग) विशेषतया विद्युत सैक्टर में सुधारों का ज्ञान तथा अनुभव; (घ) केन्द्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर विधिक मामलों का विशेषतया: विधिक परामर्श देने तथा अधिनियमों, विनियमों, विधान का निर्वचन एवं प्रारूपण का अनुभव; (ङ) विधेयकों, नियमों, विनियमों, वाणिज्यक करारों/ दस्तावेजों को बनाने तथा उनका विधिक परीक्षण करने तथा उनके हिन्दी पाठों को अधिप्रमाणित करने का अनुभव ; (च) विधान सभा प्रक्रिया एवं कारबार

					संचालन नियमों का ज्ञान ; (छ) कम्प्यूटर साक्षरता ।		
22.	वरिष्ठ विधि अधिकारी (न्यायिक) ।	वर्ग-I राजपत्रित	10700-350-12100-400-14900-450-153500.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ विधि स्कूल से विधि की उपाधि ; (ख) विधि व्यवसाय की पात्रता ; (ग) विधि व्यवसाय में कम से कम 7 वर्ष का का अनुभव ; (घ) किसी केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर/उपक्रम/ राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्र/ राज्य सरकार में सदृश पर पद पर कार्यरत अधिकारी या केन्द्रीय/ राज्य सरकार या विधि संकाय/पब्लिक सैक्टर उपक्रम के अधीन जिला उप-न्यायवादी अथवा जिला सहायक न्याय-वादी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, या उपरोक्त अनुभव वाला 7220—11660 अथवा उसके समतुल्य वेतनमान में कार्यरत अधिकारी ; (ङ) लिखित तथा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ;	(क) विनियामक विधि का अनुभव; (ख) विद्युत क्षेत्र में प्रदर्शित ज्ञान अथवा अनुभव ; (ग) मुकद्दमों की पैरवी का अनुभव ; (घ) संविदा अथवा प्रशासनिक विधि का अनुभव ; (ङ) हिन्दी का ज्ञान ।

1	3	3	4	5	6	7	8
						(च) कम्प्यूटर साक्षरता ।	
23.	वरिष्ठ विधि अधिकारी (प्रारूपण एवं राजभाषा) ।	वर्ग-I राजपत्रित	10700-350-12100-400-14900-450-15350 ।	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / विधि स्कूल से विधि की उपाधि ; (ख) राज्य/केन्द्रीय सरकार अथवा विधिक संस्था/पब्लिक सैक्टर उपक्रम में विधि अधिकारी के रूप में अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के प्रारूपण और विधिक परीक्षण करने तथा उनके राजभाषा पाठ तैयार करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव ; (ग) किसी केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्र/राज्य सरकार में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी, या 7220—11660 या उसके समतुल्य वेतनमान के पद पर 5 वर्ष का अनुभव; (घ) लिखित तथा मौखिक संसूचन म उत्कृष्टता ;	(क) विनियामक विधि का अनुभव; (ख) विद्युत क्षेत्र में प्रदर्शित ज्ञान अथवा अनुभव; (ग) मुकद्दमों की पैरवी का अनुभव; (घ) संविदा अथवा प्रशासनिक विधि का का अनुभव ; (ङ) हिन्दी का ज्ञान; (च) विधियों (विधेयकों नियमों, विनियमों) के निर्वचन, तथा प्रारूपण तथा करारों/दस्तावेजों के प्रारूपण का विधिक अनुभव ।

24.	रीडर	वर्ग-I राजपत्रित	7750-250-8000-275-9100-300-10100-350-12100-400-13300.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि स्कूल से स्नातक की उपाधि ; (ख) सरकारी/न्यायिक/न्यायिक-कल्प संगठन में कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनकि अथवा व्यवसाय अनुभव ; (ग) कम्प्यूटर साक्षरता ; (घ) हिन्दी व अंग्रेजी में लिखित एवं मौखिक संसचन में प्रवीणता ।	किसी उपयोगिता में अथवा विनियामक विधि में अनुभव ।

(घ) प्रशासनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग :

1. प्रशासनिक उप-प्रभाग :

25.	उप-सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) ।	वर्ग-I राजपत्रित	12900-400-14900-450-16700.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; के साथ कार्मिक प्रबन्धन एवं श्रम कल्याण/औद्योगिक सम्बन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;	(क) किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार अथवा पब्लिक सैक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय में प्रबन्धकीय हैसियत में कार्मिक एवं प्रशासनिक मामलों में अनुभव ।
						(ख) सरकारी विभाग पब्लिक सैक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय में कार्यपालक/प्रशासनिक स्तर पर कार्मिक	(ख) कार्मिक एवं सेवा मामलों एवं प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान ;

1	2	3	4	5	6	7	8
						प्रबन्धन तथा प्रशासनिक मामलों में 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ; (ग) उपरोक्त अनुभव सहित अधिकारी जो सदृश पद धारण कर रहा हो ; या अधिमानतः 10700 - 15350 या उसके समतुल्य वेतनमान के पद पर 5 वर्ष का अनुभव रखता हो ; (घ) कम्प्यूटर साक्षरता ।	(ग) कार्मिक एवं संसूचन में उत्कृष्टता ; (घ) एम0बी0ए0 अथवा विधि स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा ।
26.	उप-निदेशक (संचार माध्यम)	वर्ग-I राजपत्रित 12500-400 :14900-450 17600-500 19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय जैसे, पत्रकारिता, जनसंचार में स्नातकोत्तर की उपाधि ; (ख) पत्रकारिता जनसंचार में 7 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ; (ग) सदृश पद धारक अधिकारी या 10700 - 15350 के वेतनमान वाले किसी पद पर 5 वर्ष का अनुभव या उपरोक्त अनुभव वाला समतुल्य पद धारक ; (घ) वित्तीय अथवा आर्थिक लेखन/विश्लेषण पृष्ठभूमि की जानकारी ;	(क) संचार माध्यम (प्रैस दूरदर्शन एवं बहुजन सम्पर्क) के कारबार में लगी हुई दो या अधिक फर्मों में दो वर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव; (ख) विद्युत उद्योग की जानकारी ; (ग) निगमित निकायों तथा संगठनों की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अनुभव ।	

					(ङ) लोक प्रस्तुतियों को तैयार तथा परिदत्त करने का सार्थक अनुभव ; (घ) कम्प्यूटर कौशल विशेषत: वर्ड प्रोसैसिंग, डाटा बेस एवं प्रस्तुति कार्यक्रम की जानकारी ; (छ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।		
27.	उप-निदेशक (उपभोक्ता)	वर्ग-I राजपत्रित	12900-400-14900-450 17600-500-19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य प्रबन्धन में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विधि अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ; (ख) बडी लोक उपयोगिता में विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण का 10 वर्ष का अनुभव तथा 10700—15350 के वेतनमान अथवा उसके समतुल्य वेतनमान वाले किसी पद पर 5 वर्ष का अनभव ; (ग) सदृश पद धारक अनुभवी अधिकारी ; (घ) कम्प्यूटर साक्षरता; (ङ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	विद्युत, पारेषण तथा वितरण में लगी हुई किसी लोक उपयोगिता से सम्बन्धित वाणिज्य, आर्थिक तथा टैरिफ मामलों का सुपरिचय ।

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी (अवर सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक के रूप में पदनामित किए जाएगा)।	वर्ग-I राजपत्रित	10700-350-12100-400-14900-450-15350.	2	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबन्धन/मानव संसाधन से स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातक की उपाधि ; (ख) किसी केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्रीय/राज्य सरकार में कार्मिक तथा मानव संसाधन में 7 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव; (ग) केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर, राज्य पब्लिक सैक्टर या केन्द्रीय/राज्य सरकार में सदृश पद धारक अधिकारी, अथवा 7500—13700 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य वेतनमान में उपरोक्त मद (ख) में उल्लिखित अनुभव वाला अधिकारी; (घ) लिखित अथवा मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ;	(क) कार्मिक प्रबन्धन में एम0 बी0 ए0 अथवा विधि स्नातक। (ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार में प्रबन्धकीय हैसियत में अथवा संतिरक्क अधिकारी के रूप में प्रशासनिक अनुभव; (ग) सेवा मामलों का अच्छा ज्ञान ; (घ) कम्पयूटर डाटा स्ट्रोम तथा पर्सनल सूट्स से सुपरिचय।
29.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	वर्ग-I राजपत्रित	10700-350-12100-400-14900-450-15300.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) अर्थशास्त्र अथवा वित्त अथवा वाणिज्य अथवा लेखा कर्म में स्नातक अथवा चार्टर्ड	(क) मैकरो अर्थशास्त्र का ज्ञान ; (ख) कम्पनी अधि-

					अकाउंटेंट । (ख) वित्त विश्लेषण लेख-कर्म में 7 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव; (ग) केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम / राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम केन्द्रीय/राज्य सरकार में सदृश पद धारक अधिकारी अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्रीय/राज्य सरकार में या 7500-13700-550-14100 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य वेतनमान में उपरोक्त (ख) में लिखित अनुभव वाला अधिकारी; (घ) कम्प्यूटर साक्षरता ; (ङ) मौखिक एवं लिखित संसूचन में निपुणता ।	नियम के अध्यधीन तथा सरकारी तन्त्र में उद्यमों के लिए लागत विश्लेषण तथा लेख पद्धति का ज्ञान ;	
30.	वरिष्ठ निजी सचिव	वर्ग-1 राजपत्रित	10700–350–12100–400–14900–450–16350	1	प्रति नियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; (ख) कम्प्यूटर वर्ड-प्रोसैसिंग में माहिर;	(क) केन्द्र/राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय में विभागाध्यक्ष के साथ

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ग) अशुलिपि लेखन एवं टंकण में प्रवीणता;	5 (पांच) वर्ष का निजि सचिव के रूप में अनुभव ;
						(घ) केन्द्र/राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद पर सेवारत अथवा 7750 13300 के वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा; अथवा	(ख) कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा ।
						उपरोक्त अनुभव सहित इसके समतुल्य वेतनमान पर कार्यरत व्यक्ति;	
						(ङ) प्रभावी संसूचन में कुशल ।	
31.	अनुभाग अधिकारी	वर्ग-II राजपत्रित	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; (ख) राज्य / केन्द्र सरकार या पब्लिक सैकटर उपक्रम में सदृश पद धारक अथवा 7000—11750 के वेतनमान के पद पर प्रशासन अथवा वित्त में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा 6300—10700 के वेतनमान के पद पर 7 वर्ष का समान अनुभव;	(क) सेवा / लेखा मामलों के संचालन का समुचित अनुभव, तथा संस्थापन मामलों का अच्छा ज्ञान ; (ख) लिखित तथा मौखिक संसूचन में प्रवीणता ; (ग) कार्यालय अथवा कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा ।

					(ग) कम्प्यूटर वर्ड-प्रोसैसिंग में माहिर ।		
32.	निजी सचिव	वर्ग-II राजपत्रित	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300.	5	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; (ख) कम्प्यूटर वर्ड-प्रोसैसिंग में माहिर; (ग) आशुलिपि लेखन एवं टकण में प्रवीणता; (घ) केन्द्र / राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद धारक; अथवा 7250--11500 के वेतनमान के पद पर 3 (तीन) वर्ष का अनुभव अथवा समतुल्य पद धारक जिसे उपरोक्त अनुभव हो ;	(क) केन्द्र / राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या कानूनी निकाय में विभागाध्यक्ष के साथ निजी सहायक के रूप में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ; (ख) कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा ।
33.	निजी सहायक	वर्ग-III राजपत्रित	7250-250-8000-275-9100-300-10000-350-11400.	7	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन यासीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; (ख) कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में माहिर; (ग) आशुलिपि लेखन एवं टकण में प्रवीणता; (घ) केन्द्र/ राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पदाधिकारी, अथवा केन्द्रीय/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम, राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम	(क) केन्द्र /राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम कानूनी निकाय में विभागाध्यक्ष के साथ निजी सहायक के रूप से 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ; (ख) कार्यालय प्रबन्धन तथा सचिवालयिक प्रक्रिया म डिप्लोमा ।

1	2	3	4	5	6	7	8
						अथवा केन्द्र या राज्य सरकार में 6750—11050 के वेतनमान या उसके समतुल्य वेतनमान के पद पर 3 (तीन) वर्ष का अनुभव ।	
34.	वरिष्ठ स्टैनोग्राफर एवं कम्प्यूटर ग्रॉपरेटर	वर्ग–III	6750-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050.	8	प्रतिनियुक्ति स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) स्नातक उपाधि के साथ टंकण में 40 (चालीस) शब्द प्रति मिनट, आशुलिपि लेखन में 80 (अस्सी) शब्द प्रति मिनट था कम्प्यूटर टंकण में 8000 (आठ हजार) के0डी0 प्रति मिन्ट की गति में दक्षता ; (ख) मान्यता प्राप्त संस्थान से टंकण तथा आशुलिपि लेखन में डिप्लोमा ; (ग) केन्द्र/राज्य सरकार व पब्लिक सैक्टर उपक्रम में सदृश पद का धारक; अथवा किसी पब्लिक सैक्टर/कानूनी निकाय में 6100—9400 के वेतनमान में पद पर, जिसमें कम्प्यूटर प्रचालन अभिदर्शित होता हो, 3 वर्ष की सेवा ।	किसी मान्यता प्राप्त/विख्यात संस्थान से प्रबन्धन तथा सचिवालयिक प्रक्रिया में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र ।

35.	अधीक्षक (लेखा)	वर्ग-III	6750-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050.	1	प्रति नियुक्ति या स्थायी आमलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा	(क) स्नातक होने के साथ टंकण लेखाक्रम, वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में प्रवीणता (ख) शासकीय नियमों तथा विनियमों में निपुण तथा कार्यालय अभिलेख अनुरक्षण में दक्ष ; (ग) केन्द्र/राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर उपक्रम निगम/बोर्ड में सदृश पद धारक; अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 6300—10700 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा, अथवा उसके समतुल्य, वेतनमान में उपरोक्त अनुभव ।	(क) वाणिज्य स्नातक को अधिमान दिया जाएगा ; (ख) लिखित एवं मौखिक संसूचन में निपुण; (ग) कम्प्यूटर कौशल एवं साक्षरता में दक्षता ।
36.	पुस्तकालयाध्यक्ष	वर्ग-III	6750-250-8000-275-9100-300-10000-360-11050	1	प्रति नियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाईब्रेरी विज्ञान से स्नातक या उसके समकक्ष की उपाधि; (ख) सदृश पदधारक, अथवा 6300—10700 के वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ बड़े पुस्तकालय में काम का अनुभव;	वैज्ञानिक तथा कम्प्यूटर संचालित पुस्तकालय का अनुभव ।

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ग) मंत्रार संसूचन में उत्कृष्टता ।	
17.	वरिष्ठ सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटर ।	वर्ग-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10,000-350-10700.	6	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा	(क) स्नातक होने के साथ टंकण, लेखा कर्म वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में प्रवीणता; (ख) शासकीय नियमों तथा विनियमों में निपुण तथा कार्यालय अभिलेख अनुरक्षण में दक्ष; (ग) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सदृश पद धारक, अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम या केन्द्रीय/राज्य सरकार में 4600/7250/4400/7000 या उसके समतुल्य वेतन-मान में लिपीकीय संवर्ग में किसी पद पर जिसमें कनिष्ठ सहायक भी आता है, 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले व्यक्ति ।	(क) कार्यालय प्रबन्धन अथवा कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा; (ख) कम्प्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा कम्प्यूटर प्रचालन में 3 वर्ष का व्यवहार्य अनुभव;

38.	खजांची (वरिष्ठ सहायक)	वर्ग-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10000-350-10700.	1	प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) स्नातक होने के साथ टंकण. लेखाकर्म वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में प्रवीणता ; (ख) शासकीय नियमों तथा विनियमों में निपुण तथा कार्यालय अभिलेख अनुरक्षण में दक्ष; (ग) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सदृश पद धारक; अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सक्टर उपक्रम या/केन्द्र राज्य सरकार में 4600/7250/4400/7000 या उसके समतुल्य वेतनमान में लिपीकीय संवर्ग में किसी पद पर जिसमें कनिष्ठ सहायक भी आता है, 8 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें कम कम से कम 3 वर्ष का अनुभव किसी सरकार अथवा पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में लेखा प्रक्रिया का होना चाहिए ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक की उपाधि अथवा वित्तीय प्रबन्धन का डिप्लोमा ; (ख) कम्प्यूटर एपलीकेशन कोर्स में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा कम्प्यूटर प्रचालन में 3 वर्ष का व्यवहार्य अनुभव ।

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	कनिष्ठ सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ।	वर्ग-III	4600-175-5300-200-6500-250-7250.	2	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) स्नातक होने के साथ टंकण, लेखाकर्म वित्तीय मामलों तथा कार्यालय प्रक्रिया में प्रवीणता ; (ख) शासकीय नियमों तथा विनियमों में निपुण तथा कार्यालय अभिलेख अनुरक्षण में दक्ष ; (ग) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/कानूनी निकाय में सदृश पद धारक, अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 3480 – 6500 के अथवा इसके समतुल्य वेतनमान में किसी पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा ।	कार्यालय प्रबन्धन अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या कम्प्यूटर प्रचालन तथा एप्ली-केशन का एक वर्ष का व्यवहार्य अनुभव ।
40	चालक	वर्ग-III	4600-175-5300-200-6500-250-7250.	7	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन ; (ख) लाईट व्हिकल लाईसैंसधारी; (ग) दोनों पर्वतीय/मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों में लाईट व्हिकल चलाने का 3 (तीन) वर्ष का अनुभव ;	शारीरिक तौर पर स्वस्थ ।

						(घ) यातायात नियमों तथा व्हिकलज के अनुरक्षण का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए तथा व्हिकलज के सामान्य चालू रखने हेतु छोटी-छोटी मुरम्मत करने की योग्यता होनी चाहिए; (घ) दृष्टि सामान्य होनी चाहिए ।	
41.	स्वागतकर्त्री	वर्ग-III	3480-130-4000-150-4600-175-5300-200-6500.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 होना चाहिए; (ख) कम्प्यूटर प्रचालन का आधारिक ज्ञान होना आवश्यक है; (ग) स्वागत करने देखभाल करने ई0 पी0 ए0बी0 एक्स (EPABX) इन्टरकोम कनैक्शन का अनुभव होना चाहिए ।	सरकारी विभाग पब्लिक सैक्टर उपक्रम अथवा कानूनी निकाय में काम किया होना चाहिए ।
42	अहलमद	वर्ग-III	3480-130-4000-150-4600-175-5300-200-6500.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 होना चाहिए; (ख) कम्प्यूटर प्रचालन का आधिकारिक ज्ञान होना आवश्यक है ; (ग) न्यायिक न्यायालय/ कानूनी निकाय में अभिलख अनुरक्षण का	सरकारी विभाग/ पब्लिक सैक्टर उपक्रम, न्यायिक न्यायालय अथवा कानूनी निकाय में काम किया होना चाहिए ।

1	2	3	4	5	6	7	8
						3 वर्ष का व्यवहार्य अनुभव अथवा चपड़ासी/आदेशिका तामीलकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।	
43.	दफ्तरी	वर्ग-IV	2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-5300.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से मैट्रिकुलेशन; (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ; (ग) केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में 2720—4775 के अथवा किसी पद पर इसके समतुल्य वेतनमान म चपड़ासी/आदेशिका तामीलकर्ता के रूप में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ।	
44.	जमादार/हवलदार	वर्ग-IV	2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-5300.	5	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन : (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ्य । (ग) केन्द्रीय पब्लिक सैकटर उपक्रम/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में 2720—4775 के	

						अथवा इसके समतुल्य वतनमान में चपड़ासी/ आदेशिक तामीलकर्ता के रूप में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव ।	
45.	चपड़ासी	वर्ग-IV	2720-110-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.	8	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन । (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ।	
46.	आदेशिका तामीलकर्ता	वर्ग-IV	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.	2	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन ; (ख) शारीरिक तौर पर स्वस्थ ।	
II—सूचना प्रौद्योगिकी उप-प्रभाग :							
47.	निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांख्यिकी)	वर्ग-I राजपत्रित ।	15800-450-17600-500-21100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्पयूटर) विज्ञान अथवा इंजीनिरिंग में बी0टैक/बी0ई0 अथवा एम0सी0ए0 या उसके समकक्ष की उपाधि। (ख) सूचना प्रौद्योगिकी एम0 आई0 एस0 (MIS), प्रबन्धकीय दायित्वों सहित डाटा बैंक से सम्बन्धित सौफ्ट वेयर के विकास के क्षेत्र में किसी विख्यात	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्पयूटर) विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में एम0 टैक0/एम0 ई0 की उपाधि; (ख) एंटरप्राईज रिसोरस प्लानिंग (ERP) पद्धति के अनुपालन का अनुभव; Oracle, SQL Fox Pro,

1	2	3	4	5	6	7	8
						संस्थान अथवा औद्योगिक इकाई में प्रशासनिक पद पर 12 वर्ष का अनुभव ; (ग) उपरोक्त अनुभव रखने वाला सदृश पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्र या राज्य सरकार/कानूनी निकाय में 12500—19100 या इसके समतुल्य वेतनमान में किसी पद पर उपरोक्त अनुभव सहित 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा ; (घ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में उत्कृष्टता ।	Oracle Application, UNIX, Visual Basic HTML, JAVA Script का ज्ञान । (ग) ऊर्जा विनिर्यामक निकायों में व्यावहार्य अनुभव ।
48.	उप-निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांख्यिकी) ।	वर्ग-I राजपत्रित ।	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ;	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्प्यूटर) अथवा इंजीनियरिंग में बी0 टैक0/बी0 ई0 की उपाधि ; (ख) किसी विख्यात संस्थान अथवा औद्योगिक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्प्यूटर) विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में एम0 टैक0 अथवा स्नातकोत्तर उपाधि या अभिकलित्र (कम्प्यूटर)

					(ग) उपरोक्त अनुभव रखने वाला सदृश पदाधिकारी अथवा जन संचार प्रौद्योगिकी जिसमें प्रबन्धकीय दायित्व भी आते हैं, के क्षेत्र के 8550 के प्रारम्भिक वेतन सहित 7750 – 11500 के वेतनमान के पद पर 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा ;	(ख) एंट्रप्राईज रिसोरस प्लानिंग (ERP) पद्धति के अनुपालन का अनुभव ; Oracle, SQL, Fox Pro, Oracle Application, UNIX, Visual Basic, HTML, JAVA Script का ज्ञान ;	
					(घ) अभिकलित्र (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर कौशल तथा साक्षरता का गूढ़ ज्ञान ;	(ग) ऊर्जा विनियामक निकायों में व्यवहार्य अनुभव ।	
					(ङ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में निपुणता ।		
49.	साफटवेयर इंजीनियर	वर्ग-I, राजपत्रित	7750-200-8000 275-9100/ 10350-350-12100-400-14500 (8550 प्रारम्भिक वेतन सहित) ।	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्पयुटर) विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा एम0 सी0 ए0 की उपाधि	(क) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) तथा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ विनियामक निकाय में वृत्तक व्यवहार्य अनुभव ;

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ख) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) विज्ञान क्षेत्र में किसी विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अथवा संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव अथवा सदृश पदाधिकारी, अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्र या राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम/ केन्द्र या राज्य सरकार में 7220—11660 के या उसके समतुल्य वेतन-मान में 3 वर्ष की नियमित सेवा ; (ग) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) कौशल तथा साक्षरता का गूढ़ ज्ञान; (घ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में निपुणता ।	(ख) RDMBS अथवा Web कार्यक्रम प्रोजक्ट पर परियोजन कार्य ; (ग) किसी बड़े संस्थान में LAN के प्रचालन एवं अनुरक्षण में 3 वर्ष का अनुभव ।
50. कार्यक्रमक	वर्ग-I, राजपत्रित	7750-200-8000 275-9100/ 10350-350 12100-400 14500 (8550 के प्रारम्भिक वेतन सहित)।	1	प्रतिनियुक्त या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा ।	(क) मायन्ता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिकलित्र (कम्प्यूटर) विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा एम0 सी0 ए0 की उपाधि; (ख) अभिकालित्र (कम्पयुटर) विज्ञान	(क) अभिकलित्र (कम्पयुटर) तथा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ विनियामक निकाय में वृत्तक व्यवहार्य अनुभव ।	

					क्षेत्र में किसी विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अथवा संस्थान में 3 वर्ष का अनुभव; अथवा सदृश पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम/केन्द्र या राज्य सरकार में 7220--11660 के या उसके समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा; (ग) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) कौशल तथा साक्षरता का गूढ़ ज्ञान ; (घ) लिखित एवं मौखिक संसूचन में निपुणता ।		
51.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	वर्ग-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10000-350-10700.	1	प्रतिनियुक्ति या स्थायी आमेलन या सीधी भर्ती या संविदा द्वारा	(क) मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; (ख) विद्युत क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव; अथवा केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रम/राज्य या केन्द्र सरकार/कानूनी निकाय में सदृश पद पर 3 वर्ष का अनुभव;	(क) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रचालन में सुपरिचय ।

1	2	3	4	5	6	7	8
						(ग) लिखित एवं मौखिक संसूचन में निपुणता ।	

अनुसूची-III

(विनियम 13 देखें)

अनुशासनिक, अपील तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी :
वर्ग I तथा II अधिकारियों के लिए :

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2) अपील प्राधिकारी	आयोग
(3) पुनर्विलोकन प्राधिकारी	आयोग

वर्ग III तथा IV कर्मचारियों के लिए :

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी	आयोग सचिव
(2) अपील प्राधिकारी	अध्यक्ष
(3) पुनर्विलोकन प्राधिकारी	आयोग

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2004/3 आश्विन, 1926
1964

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Shimla, the 16th September, 2004

No. HPERC/Secy./705/JSR/2003.—The following draft regulations, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make with the approval of the State Government, and in exercise of the powers conferred by clauses (*zj*) and (*zk*) of sub-section (2) of section 181, read with sub-sections (2) and (3) of section 91, of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, are hereby published, as required under sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration, after the expiry of the thiry days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with the objections/suggestions which may be received in respect thereto within the aforedsaid period.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-171002.

DRAFT REGULATIONS

PART-I-PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Elecricity Regulatory Commission (Terms and conditions of Service of Officers and Employees) Regulations, 2004.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

2. *Definitions.*—In these regulations, unless the context othewise requires—

(1) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(2) "Appointing Authority" means—

(*a*) the Chairperson in respect of the posts mentioned in Part-Iof Schedule-I; and

(*b*) the Secretary, in respect of the posts mentioned in Part-II of Schedul-I;

(3) "appointment on contract" means an appointment made by the appointing authority in accordance with the provisions of these regulations for a limited period on contracatual basis;

(4) "appointment on permanent absorption" means and includes the appointment, in accordance with the provisions of these regulations, of an officer's employee who has resigned from his parent organisation;

(5) "Central Government" means the Government of India ;

(6) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;

(7) "Commission" means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(8) "direct appointment" means an appointment made by selection, otherwise than by promotion from/within the service, or by transfer of an official in the service of any State or Central Governemt or any Corporation, Board or any other Local Authority under the Centralor State Government on deputation or on permanent absorption or on contract basis ;

(9) "disciplinary authority" means the authority competent to impose penalty on officers and other employees of the Commission as specified in the Schedule-III ;

(10) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh ;

(11) "Government Service" means the service rendered in State/Central Government including State and Central Public Sector Undertakings, Statutory Corporations/Boards/Autonomous Bodies ;

(12) "Member" means the Member of the Commission ;

(13) "recognized University/Educational Board" means any University/Board incorporated by law in India and recognized by the authority competent for such recognition as appointed by the Central or the State Government ;

(14) "Schedule" means the schedule appended to these regulations ;

(15) "Secretary" means the Secretary of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission or any other officer of the Commission authorised by the Chairperson to discharge in his absence for a limited period the duties and functions of the Secretary ;

(16) "Selection Committee" means a Committee constituted by the appointing authority in accordance with the provisions of these regulations for making recommendations for appointments to the posts in the Commission ;

(17) "State Electricity Board" means the State Electricity Board for the State of Himachal Pradesh, constituted before the commencement of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) under sub-section (1) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) and includes its successors-in-interest ; and

(18) the words and expressions used in these regulations, but not defined,unless the context otherwise requires, shall have the same meaningsas are respectively assigned to them in the Act or in the Fundamental and Supplementary Rules as are adopted or made applicable to the officers/employees of the State Government.

PART-II

CATEGORISATION OF POSTS AND MODE OF APPOINTMENTS

3. *Categories of posts.*—(1) The categories of officers and employees of the Commission, their pay scales and sanctioned strength shall be as shown in the Schedule-I. In the matter of pay scales and allowances of the employees of the Commission, Commission shall follow the pay scales and allowances fixed, from time to time, for the similar corresponding posts in Himachal Pradesh State Electricity Board.

(2) The posts shown in Part-I in the Schedule-I shall be in the category 'Officers' and the remaining posts shown in Part-II of the said Schedule shall be the category of the 'staff'.

(3) The Commission shall, with the approval of the State Government have the power to add, delete or make modifications in the categories of posts from time to time.

(4) Without changing the pay scale of a post, the Commission may, at its discretion, redesignate any post to indicate its functional requirements. The Commission shall modify such redesignation of posts.

4. *Eligibility for appointment.*—No person shall be appointed to the service of the Commisston unless he/she is citizen of India.

5. *Qualifications, Experience and Mode of Recruitment.*—(1) The educational qualifications, experience, other conditions and mode of appointment to the post on the establishment of the Commission shall be as prescribeed in the Schedule-II. The employees shall be appointed by the Commission either:—

(*a*) on permanent absorption basis, or
(*b*) on deputation, or
(*c*) on contract basis, or
(*d*) by direct recruitment.

(2) The Commission shall have the power to dertermine the mode of recruitment to a particular vacancy or a group of vacancies or all vacancies.

(3) The Chairperson shall have the discretion to identify certain services essential to the satisfactory running of the Commission to be permformed by service providers on competitive rates. These services shall include but not be limited to the security of the office, dusting and cleaning of the office, messenger service, receptionist, running and maintencance of specialised services for which no provision has been made in the sanctioned posts by the Commission.

6. *Appointment on permanent absorption.*—(1) The eligibility criterion for post to be filled up on permanent absorption shall be as per the details given in Schedule-II:

Provided that the Chairperson shall have the discretion to relax such eligibility conditions, for reasons to be recorded in writing, in deserving cases.

(2) The personnel posted on permanent absorption from Central/State Government or any Public Sector Undertaking under Central Government/State Governments, and other autonomous bodies shall have the option either to count the services rendered under the parent

organisation for pension in the Commission or to receive *pro-rata* retirement benefits for the service rendered under the parent organisation, in accordance with the orders issued by the Central/State Government.

(3) In case of an appointment to a post in the Commission on immediate permanent absorption basis in public interest, the appointee will be free to negotiate his emoluments with the Commission :

Provided that where the appointee is a retiree or has sought the retirement, he may negotiate with the Commission for his emoluments in addition to the pension being received by him .

(4) The staff joining on permanent absorption shall normally be eligible for contribution to the General Provident Fund. However, in such cases where the total service to be rendered in the Commission is less than 10 years he shall be eligible for CPF and in that case, the Commission shall bear the cost of employer's contribution.

(5) The terms and conditions on permanent absorption shall not in any way be less favourable than those , which would have been applicable, had there been no such absorption.

(6) The person appointed on permanent absorption, if is in possession of residential accommodation provided by his parent department/organization and on account of his appointment in the Commission is required to vacate the said accommodation, the Commission shall compensate such employee by hiring the suitable residential accommodation for him.

(7) The age of superannuation in respect of those appointed on permanent absorption shall be 60 years.

(8) Except as herein before provided in this regulation, the other terms and conditions shall as from time to time be prescribed by the State Government regulating appointments by permanent absorption issued from time to time.

7. *Deputation.*—(1) The vacancies of officers and staff may also be filled in by deputation of employees from a Government Department or a Public Sector Undertakings or any other Autonomous Body under the Central or State Government. The Commission shall derertmine the vacancies to be filled in by deputation and the period of deputation from time to time.

(2) The period of service of personnel posted in the Commission on deputation from the Government of H. P. or the Central Government or any Public Sector Undertaking under the Central Government/State Governments and other autonomous bodies shall be treated as continuous for the purpose of all service benefits.

(3) The standard terms and conditions prescribed by the Central Government, or as the case may be by the State Government, shall govern the fixation of pay.

(4) The person joining the services of the Commission on transfer on deputation shall be deemed to have entered into an agreement with the Commission or the nominated authority, as the case may be, to repay the loans, advances and other sums due from them or otherwise perform the obligations undertaken by them to the Government or to the Public Sector Undertakings or to the autonomous body which remain outstanding against them on the date of joining as per the original terms and conditions.

(5) Staff joining on deputation shall be eligible for contribution to the respective Provident Fund to which they are subscribers in the parent department. In case an official

posted on deputation is a member of the Contributory Provident Fund, the Commission shall bear the cost of employer's contribution as applicable in each case.

(6) The Commission shall, in relation to the persons joining the services of the Commission on transfer on deputation, pay *pro-rata* leave salary and pensionary contributions.

(7) The person joining the service of the C mmission on transfer on deputation may, unless otherwise ordered by the Commmission by a general or special order, draw his salary and allowances as provided under sub-regulation (1) of regulation 3 of these regulations, or may opt to draw his salary and allowances in the same scale in which he would have drawn his salary and allowances in his parent Department/Organisation and draw the deputation allowance at the rate of 5 percent of his basic pay in case his employment is intra station or at the rate of 10 percent of his basic pay, in case his employment is from a different station to that of the station of posting in the Commission.

(8) Notwithstanding the fact that the employee has not compleded the period of deputation in the Commission, the Chairperson shall have the discretion to approve the repatriation of any employee serving on deputation to his parent department on determining that the services of such employee are not required by the commission.

8. *Appointment on contract.*—(1) The vacancies of officers and staff may also be filled in by appointing suitable persons on contract basis, so as to obtain experienced and qualified candidates.

(2) In the case of direct recruitment on cantranct basis a consolidated pay package shall be decided in each case, which shall remain fixed during the period of contract.

(3) The remuneration may be revised on the discretion of the Commission when it decides to extend or renew the contract of an employee.

(4) The services of a person appointed on contract basis may be terminated, for good and sufficient reasons to be recorded in writing, after issue of a one-month's notice or payment of his pay package in lieu thereof.

(5) Persons retired on superannuation shall be eligible for appointment in the Commission only on a contrat basis and no person appointed on contract basis shall serve after attaining the age of 70 years.

9. *Selection Committee.*—(1) All appointments to the various posts, except that of Secretary, whether on regular basis or on deputation or on a contract basis shall be made on the recommendations of the Selection Committee.

(2) The Selection Committee shall consist of:—

(*a*) for the post of officers—

(1) the Chairman of the Commission (in chair) ;

(2) one Member of the Commission to be nominated by the Commission;

(3) one Executive Director to be nominated by the Chairperson;

(4) the Secretary (Member-Secretary).

(*b*) for the post of staff—

(1) the Chairperson or any Member nominated by the Chairperson (in chair) ;

(2 the Head of the concerned Division ;

(3) the Secretary (Member-Secretary).

(3) Till the Commission continues to be a single Member Commission, the provisions of sub-para (2) of para (*a*) of sub-regulation (2) of this regulation, shall not be invoked.

(4) The Selection Committee may, at its discretion co-opt one or more persons as experts to assist it.

(5) The Selection Committee shall devise the mode of procedure, from time to time in consultation with the Chairman, for the selection of candidates of various posts.

10. *Procedure for appointment.*—(1) The Commission shall advertise the vacancies to be filled in by direct recruitment or on contract basis in leading daily newspapers. Such vacancies shall also be notified to the Employment Exchanges, wherever required. The vacancies to be filled in by deputation shall be circulated to Government Departments, Public Sector Undertakings and other autonomous bodies with complete details of job requirements, requisite educational and professional qualifications, pay structure etc., giving at least eight weeks time for the prospective applicants to respond with respective particulars. However, in compelling circumstances this period for reasons to be recorded in writing, be reduced, to six weeks.

(2) The last date for submission of applications and details of place where applications alongwith requiste certificates of character/age/caste/domicile/educational qualifications are to be submitted and any prescribed format for the applications, as may have been devised by the Commission, shall also be notified /circulated with such advertisement/circular.

(3) The upper age limit for appointment to the post on regular basis shall be 45 years. The upper age limit shall be relaxed by five years for the candidates belonging to SC,ST and other Backward Classes. The upper age limit shall not be applicable for appointment to the posts on contract basis. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application forms from the candidates (and not the closing date prescribed for the receipt of application forms from candidates in Assam, Meghalya, Arunachal Pradesh, Mezoram, Nagaland, Manipur, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J & K State, Kinnaur & Lahual Spiti Dsitricts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and the Islands of Lakhshadeep). Suitable relaxation may be given in age limit for departmental candidates as per existing instructions.

(4) As per the policy of the State Government vacancies shall be reserved for the categories so specified.

(5) The applications received within the prescribed time limit shall be placed before the Seclection Committee. The preliminary scrutiny shall indicate in a tabular form the details submitted by the individual candidates under various colums of the application forms and shall also mention the details of the testimonials and certificates attached by respective applicants indicating the fulfilment/non fulfilment of egibility criterion by the candidate.

(6) The Selection Committee on the basis of such information shall within a period of seven days decide about the further action to be taken for completion of selection process. It may decide to call certain candidates found to be fulfilling the job requirements for personal interview/test or for reasons to be recorded in writing make selection on the basis of information received with the application forms.

(7) In case of meritorious candidates with requisite qualifications not being found, the Selection Committee may decide to call for fresh applicants, or recommend to the appointing authority for modification of eligibility conditions in certain deserving cases alongwith suitable reduction in the pay structure to be offered to the prospective appointee. After finalisation of process, the approval of the appointing authority shall be obtained and the merit list prepared by the selection committee shall be displayed on the notice board of the Commission at the specified date. The selection committee shall also prepare a list of candidates in order of merit for being kept on selection panel for being offered employment in the eventuality of any successful candidate not availing the offer of appointment within a reasonable time.

(8) The number of candidates empanelled shall ordinarily not exceed three persons and such a panel shall not be operative beyond six months of the date of announcement of results of selection.

(9) In the eventuality of the selection process being undertaken again for want of suitable candidates, the entire procedure listed above shall be followed all over again.

11. *Formalities after appointment.*—(1) The successful candidates shall be informed about their appointment through registered post/speed post and shall be given two weeks time for joining their assignment and in the eventuality of their failure to join within the stipulated time, the offer of appointment shall stand cancelled. The Chairperson may, however, for reasons to be recorded in writing relax this condition for a reasonable period in respect of deserving cases of genuine hardship.

(2) The candidates for direct appointment on their selection shall be required to undergo a medical examination before the medical board of the hospital of appropriate jurisdiction notified by State Government for such exercise, within two weeks of their joining. Failure to successfully clear the medical examination may lead to cancellation of offer for appointment. The Chairman shall have the discretion to relax this condition after consulting a senior specialist in a State Government hospital and on being satisfied that any medical condition or disability is of such nature as it shall not interfere with the normal discharge of the duties assigned by the Commission to the appointee.

(3) The offer of appointment shall be followed by letter of appointment only after the selected candidate has furnished the original copies of various certificates of educational qualificational/excperience domicile and caste status before the competent authority in the Commission . Failure to furnish any such certificate within two weeks of issue of offer of appointment shall lead to cancellation of offer of appointment.

(4) In all such cases of cancellation of appointment, the offer of appointment shall be sent to the next empanelled candidate in the same manner as was done in case of originally selected candidate.

(5) In case of direct appointment the Commission shall seek to get the character and antecedents of appointed candidates verified in a manner as may be deemed fit and in the eventuality of such report leading to the conclusion that the appointee is not fit to be

retained in the services of the Commission, the appointment shall be cancelled forthwith. The appointee shall not be entitled to any compensation or monetary benefit on this account. Such verifications shall not be applicable in case of candidates who are already in the employment of the Central or State Government or in the employment of any Public Sector Undertaking or of any Govt. Organisation in the employment prior to joining the Commission.

12. *Probation.*—(1) All direct recruits shall be on probation for a period of two years from the date of their joining :

Provided that the period of probation shall not include the period spent on earned leave or extraordinary leave, medical leave or any period of unauthorized absence.

(2) In case the performance of the appointee, during the period of probation, is not found satisfactory by the Commission, the period of probation may be suitably extended subject to maximum of one year, or the services of the appointee may be terminated forthwith subject to payment of one month's salary by the Commission to such discharged employee.

(3) Any decision for extension of the period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the pervious period of probation and communicated to the concerned officer in writing giving reasons for doring so.

13. *Disciplinary/appellate authorities.*—The disciplinary appellate authority and reviewing authority, in respect of the officers and employees of the Commission, shall be as specified in Schedule-III.

PART-III MISCELLANEOUS

14. *Other conditions of service.*—The conditions of service of the officers and other employees of the Commission for which no express provision or insufficient provision has been made in these regulations, the rules and orders as from time to time may be made or made applicable to the State Govt. employees, by the State Govt. shall apply.

15. *Allowances and other facilities.*—The officers/employees of the Commission shall be entitled to—

(*a*) draw dearness allowance, city compensatory allowance, capital allowance, conveyance allowance, secretariat/special allowance, electricity allowance and house rent allowance ;

(*b*) avail facility for LTC/Home travel/news-papers and periodicals and expenses and residential telephone charges facility ;

(*c*) claim reimbursement of medical allowance/reimbursement facility ; and

(*d*) internet facility both at office and residence ;

on such scale and subject to such conditions, as may be made applicable from time to time, to its employees by the Himachal Pradesh State Electricity Board.

(2) To ensure its effective and efficient functioning, the Commission may provide suitable residential accommodation or hire such private accommodation for its officers/employees.

16. *Applicability of Central Govt. Rules.*—The following rules of the Central Government as adopted by the State Government shall be deemed to be applicable in respect of

employees serving the Commission either on deputation or by virtue of their appointment to the Commission on permanent absorption or contract or direct recruitment:—

(*a*) Central Civil Services (Control, Classification and Appeal) Rules ;
(*b*) the Central Civil Services (Conduct) Rules ;
(*c*) the Central Civil Services (Leave) Rules ;
(*d*) the Central Services (Medical Attendance) Rules ;
(*e*) the CCS Pension Rules (Except Contract employees)
(*f*) the Fundamental Rules and Supplementary Rules ;
(*g*) the General Provident Fund Rules/Contributory Provident Fund Rules ;

(*h*) the Temporary Government servent Rules (in respect of persons directly appointed by the Commission and placed on probation and those appointted on contract); and

(*i*) Service Rules referred to in (*a*) to (*h*) shall be applicable mutatis mutandis for the employees of the Commission except that the age of superannuation of the officers and employees on permanent employment in the Commission shall be 60 years and in case of those appointed on contract basis shall be of 70 years.

17. *Conduct.*—(1) Every officer/official of the Commission shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty.

(2) No officer/official of the Commission shall act in a manner prejudicial to discipline and good order in the Commission.

(3) The rules and orders for the time being in force and applicable to Government servants in the State Govt. shall apply *mutatis mutandis* to the officers/officials of the Commission.

18. *Savings.*—Any appointment made or anything done or any action taken by the Commission prior to the commencement of these regulations shall be deemed to have been validly made or done or taken under these regulations and the officers and employees thereof shall be deemed to have been appointed under these regulations and they shall continue to hold office, on the same terms and conditions on which they were appointed, for a period of one year or till the expiry of the existing term of appointment whichever is earlier and thereafter such appointments shall be made under these regulations.

19. *Removal of difficulty.*—If any question arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the Commission, with the approval of the State Government, may by an order in writing to what appears it to be necessary for the purpose of removing such difficulty.

By order of the Commission,

Sd/-
Director (TE).

SCHEDUL-I

[*See* regulations 2(2) and 3]

CATEGORISATION OF POSTS AND STRENGTH OF OFFICERS AND STAFF

Sl. No.	Nomenclature	Pay Scale	Sanctioned Strength
	Part-I-Officers		
1.	Advisor to the Commission	Negotiable by the Commission	1
2.	Secretary	18600-23100	1
3.	Executive Director	18600-23100	3
4.	Director	15800-21100	4
5.	Joint Director	13500-16800	2
6.	Dy. Director	12500-19100	13
7.	Dy. Secretary (P & A)	12900-16700	1
8.	Pers-*cum*-Admn. Officer (To be designeted as Under Secretary)	10700-15350	1
9.	Sr. Accounts Officer	10700-15350	1
10.	Sr. Private Secretary	10700-15350	1
11.	Sr. Law Officer (Judicial)	10700-15350	1
12.	Sr. Law Officer (Hindi)	10700-15350	1
13.	Software Engineer	7750-14500 (Start 8550)	1
14.	Programmer	7750-14500 (Start 8550)	1
15.	Section Officer	7750-13300	1
16.	Reader	7750-13300	1
17.	Private Secretary	7750-13300	5
	Part-2 Staff		
1.	Librarian	6750-11050	1
2.	Personal Assistant	7250-11400	7
3.	Sr. Scale Stenographer-*cum*-Computer Operator	6750-11050	8
4.	Accountant	6750-11050	1
5.	Sr. Assistant	6300-10700	6
6.	Cashier	6300-10700	1
7.	Junior Engineer (Electrical)	6300-10700	1
8.	Receptionist	3480-6500	1
9.	Jr. Asstt.-cum-Computer Operator	4600-7250	2
10.	Driver	4600-7250	7
11.	Ahlmed	3480-6500	1
12.	Daftri	2930-5300	1
13.	Jamadar/Havildar	2930-5300	5
14.	Peons	2720-4775	8
15.	Process Server	2720-4775	2

(*See* regulation 5)

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND MODE OF RECRUITMENT OF OFFICERS AND STAFF

Sl. No.	Name of the post	Classification	Scale of pay	Number of posts	Method of recruitment	Essential/Desirable qualification	
						Essential	Desirable
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Advisor to the Commission	Class-I (Gaz.)	Negotiable by the Commission	1	Contract	(*a*) Master degree from a recognised University. However, in case of Lawyers, Accounants and Engineers, the minimum educational qualification will be the relvant professional qualification. (*b*) Excellence and experience in any of the field of the energy sector, law, finance management, accountancy and economics; (*c*) Excellent written and verbal communication skills.	(*a*) Ph. D in the relevant field; (*b*) Experience in the regulatory affairs in the infrastructure sector such as Electricity/ Telecom/Port/ Roads/Oil etc; (*c*) Eminence in the field.
2.	Secretary	Class-I (Gaz.)	18600-500-23100	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment	(*a*) Graduate degree from the recognised University or Company Secretary.	(*a*) M. B. A. Degree from recognised University; or (*b*) Work experience in a Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8
					or contract.	(*b*) Officer holding analogous post or 3 years regular service in the post carrying the pay scale of Rs. 15800-21100, or 10 years service in the Indian Administrative Service or 15 years service in the Himachal Pradesh Administrative Service; (*c*) Administrative ability of organizing complex tasks. (*d*) Strong Computer skill and literacy; (*e*) Excellent written and verbal communication skills.	Organisation; (*c*) Administrative knowledge or experience in regulatory industry or with regulatory body or in the judicial body.
A-TECHNICIAL ANALYSIS DIVISION :							
3.	Executive Director (Technical Analysis)	Class-I (Gaz.)	18600-500-23100	1	**Deputation** or permmanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Bachelor Degree in Electric/power engineering or equivalent from a recognized Institution ; (*b*) 15 years of engineering experience	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/ Power Engineering or M.B.A in power management from a recognised University; (*b*) Experience in development

				with at least 5 years at management level in large public utilities with generation, transmission and distribution facilities; or (c) Officer holding analogous post with above experience, or 3 years regular service with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 15800-21100 or equivalent; (d) Strong computer skills and literacy; (e) Good written and verbal communication skills.	of electricity tariffs, commercial issues and power purchase agreements; (c) Experience in exposure to working of electricity utlities in developed and developing countries; (d) Experience or training in economic and financial regulations; (e) Demonstrated capability in analytical modeling.
4. Director (Transmission and Distribution)	Class-I (Gaz.)	15800-450-17600-500-21100.	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognised University; (b) 12 Years of Engineering Experience with atleast 5 years at management level	(a) Post Graduate Degree in Electrical /Power Engineering or M. B. A. in power management from a recognised University; (b) Experience in design/construction operation and maintenance of transmission/

1	2	3	4	5	6	7	8
						in large power utility in generation, transmission and distribution facilities; (*c*) Officer holding analogous post with the above experience, or 5 years regular service with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 12500-19100 or equivalent; (*d*) Strong computer skills; (*e*) Good written and verbal communication skills.	distribution system in an electrical utility; (*c*) Experience in development of tariff, commercial issues and power purchase agreements; (*d*) Experience in and exposure to working of electricity utilities in developed and developing countries; (*e*) Experience or training in economic and financial regulations ; (*f*) Demonstrated capability in analytical modeling.
5.	Dy. Director (Transmission)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/Power Engineering or equivalent from a recognised Unitversity ; (*b*) 7 Years Experience in large power Utility in generation, transmission	(*a*) Post Graduate Degree in Electricial/ Power Engineering from a recognised University or M. B. A. in power management from a recognised

					and distribution facilities ; (c) Officers holding analongous post with above experience or 5 years regular service in C. P. S. U./ S. .P. S. U./ Central/ State Govt, with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent; (d) Strong Computer skills and ; literacy (e) Good written and verbal communication skilles.	University. (b) Experience in design/construction, operation and maintenance of transmission / distribution system in an electrical Utility; (c) Knowledge of licensing in elecrrical industry, economics and financial matters ; (d) Familiarity with electricity tariff issues.	
6.	Dy. Director (Distribution)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Bachelor Degree in Electrical Power Engineering or equivalent from a recognised University ; (b) 7 years experience in large power utility in generation, transmission and distribution facilities; (c) Officer holding	(a) Post Graduate Degree in Electrical/ Power Engineering or M. B A. in power management from a recognised University. (b) Knowledge of licensing in electricial industry, economics and financial matters; (c) Experience in

1	2	3	4	5	6	7	8
						analogous post with above experience; or Persons with 5 years regular service in C. P. S.U./S. P. S. U/ Central / State Govt. with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent ; (*d*) Strong computer skills and literacy; (*e*) Good written and verbal communication skills.	design/planning/operation and maintenance of distribution system including commercial aspects of distribution (metering, billing and collection etc.) system; Familiarity (*d*) with electricity tariff issues.
7.	Dy. Director (Licencing and Open Access)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognised University ; (*b*) 7 Years Experience in large power Utility in generation,transmission and distribution facilities;	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical / Power Engineering or M. B. A. in power management from a recognised University; (*b*) Experience in load forecast, resource planning, power procurement and system operation,

					(c) Officer holding analogous post with above experience, or Persons with 5 years regular service in C. P. S. U./S. P. S. U./ Central/ State Govt. with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with initial start of Rs. 8550/-or equivalent;	power purchase agreement, least cost planning, scheduling and dispatch; (c) Knowledge of trading in electricity, licensing and economics and financial matters; (d) Experience in commercial issues/power purchase agreements, analytical modeling and electricity laws;
					(d) Strong Computer skills and litreracy ; (e) Good written and verbal communication skills.	(e) Familiarity with electricity tariff issues.
8.	Director (Generation)	Class-I (Gaz.)	15800-450-17600-500-21100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Buchelor Degree in Electrical/Power Engineering or equivalent from a recognised University. (a) Post Graduate Degree in Electrical/ Power Engineerring or M. B.A.in power management from a recognised University;
					(b) 12 Years of Engineering experience with at least 5 Years at management	(b) Experience in design/construction/ operation and maintenance

1	2	3	4	5	6	7	8
						level in large power utility in generation, trasmission and distribution facilities; or (*c*) Officer holding analogous post with the above experience, or 5 years regular service with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 12,500-19,100 or equivalent ; (*d*) Strong Computer skills and literacy; (*e*) Good written and verbal communication skills.	of hydropower plant ; (*c*) Experience in development of tariff commercial issues and power purchase agreements; (*d*) Experience in and exposure to working of electricity utilities in developed and developing countries; (*e*) Experience or training in economic and financial regulations; (*f*) Demonstrated capability in analytical modeling.
9.	Dy. Director (Generation)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/ /Power Engineering or equivalent from a recognised University ; (*b*) 7 Years Experience in large power Utility in generation, transmission and distribution faci-	(*a*) Post Graduate Degree in Electricial/ Power Engineering or M. B. A. in power management from a recognised University (*b*) Experience in design / con-

						lities; or	struction/operatioan and maintenance of hydro power plant.
						(c) Officer holding analogous post with the above experience, or 5 years regular service with the above experience in C. P. S. U./ S. P. S. U./ Central / State Government in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with inital start of Rs. 8550/-or equivalent;	(c) Experience in techno economic feasibility reports, cost estimation, project management power purchase agreement and renewable sources of energy.
						(d) Strong computer skills and literacy ;	(d) Experience in commercial issues/power purchase agreements, analytical modeling and electricity laws;
						(e) Good written and verbal communication skills.	(e) Familiarity withel ectricity tarriff issues.
10.	Dy. Directors (Cogeneration & Renewable Soures).	Class-I (Gaz.)	1250-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Bachelor Degree in Electrical / Power Engineering or equivalent from a recognised University;	(a) Post Graduate Degree in Electricial/power Engineering or M.B.A. in power management from a recognised University ;
						(b) 7 Years Experience in large power Utility in generation, transmission and distribution facilities ; or	(b) Experience in design/construction/ operation and

1	2	3	4	5	6	7	8
						(c) Officer holding analogous post with the above experience, or 5 years regular service with the above experience in C. P. S. U./ S. P. S. U./ Central / State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-9100 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent; (d) Strong computer skills and literacy; (e) Good written and verbal communication skills.	maintenance of hydro power plant; (c) Experience in, techno economic feasibility reports, cost estimation, project management, power purchase agreement and renewable sources of energy; (d) Experience in commercial issues/power purchase agreements. (e) Familiarity with electricity tarifl issues. analytical modeling and electricity laws;
11.	Dy. Director (Trading)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Bachelor Degree in Electricial/ Power Engineering or equivalent from a recognised Uiniversity; (b) 7 years experience in large power Utility in generation, transmission and distribution facilities; or (c) Officer holding analogus post with the above	(a) Post Graduate Degree in Electrical / Power Engineering or M.B.A. in power management from a recognised University; (b) Experience in Load Despatch Centre or in the Inter State sale/ purchase of energy. (c) Experience in

						experience, or person with 5 years regular service with the above experience in C. P. S. U./ S. P. S. U./ Central/ State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent; (*d*) Strong computer skills and literacy. (*e*) Good written and verbal communication skills.	commerical issues, power purchase agreements, analytical modeling and electricity laws; (*d*) Familiarity with electricity tariff issues.
B. TARIFF AND FINANCIAL ANALYSIS DIVISION :							
12.	Executive Director (Traiff & Finance Analysis)	Class-I (Gaz.)	18600-500-23100.	1	Deputation or Permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Post graduate degree in Economics or Finance/ Commerce or a CA or M. B. A. (Finance) or B. E./ B Tech. in electrical/power engineering from a recognised Institution. (*b*) 15 years experience as a professional economist or financial expert or professional engineering ex-	(*a*) Doctorate in Economics or Finance or Post Graduate Degree in Electrical/ Power Engineering or M. B. A. in power management from a recognised University ; (*b*) Experience in development of electricity tariffs, commercial issues

1	2	3	4	5	6	7	8
						perience with at least 5 years experience at management level in large public utilities with generation, transmission and distribution facilities.	and power purchase agreements;
						(c) Officers holding analogous post with above experience or 3 years regular service with the above experience in the post carrying the pay scale or Rs. 15800-21100 or equivalent ;	(c) Experience in and exposure to working of electricity utilities in developed and developing countries;
						(d) Experience in the development of tariff in the power sector utilities;	(d) Experience or training in economic and financial regulations ;
						(e) Strong computer skills/literacy in accounting packages ;	(e) Demonstrated capability in analytical modeling.
						(f) Good written and verbal communication skills.	

13.	Director Tariff (Engg.)	Class-I (Gaz.)	15800-17600-500-21100	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognised University; (*b*) 12 Years of Engineering experience with at least 5 years at management level in large power Utility in generation, transmission, and distribution facilities; (*c*) Officers holding analogous post with above experience with persons with 5 years regular service in any P. S. U./Central/ State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 12500-19100 or equivalent; (*d*) Experience in development of tariff, Commercial issues and Power Purchase Agreements; (*e*) Strong Computer skills; (*f*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/ Power Engineering or M. B. A. in power management from a recognized University ; (*b*) Experience in and exposure to working of electricity utilities in developed and developing countries ; (*c*) Demonstrated capability in analytical modeling; (*d*) Experience or training in economic and financial regulations.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Director Tariff (Economics)	Class-I (Gaz.)	15800-450-17600-500-21100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Post Graduate degree in Economics from a recognised Intitution ; (*b*) 12 years experience as a professional Economist in a big commerical organisation (preferably in electricity industry) on a Senior Executive position; (*c*) Officers holding analogous post with above experience or officers with 5 years regular Service in any P. S. U. or Central/State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 12500-19100 or equivalent with above experience; (*d*) Experience in the development of tariff in power sector utilities; (*e*) Strong computer skills; (*f*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Doctorate Degree in Economic or equivalent ; (*b*) Demonstarted capabilities in analytical modeling and economic analysis; (*c*) Experience in regulatory accounting and general business accounting.

15.	Director (Tariff) (Finance)	Class-I (Gaz.)	15800-450-17600-500-21100.	1	Deputation or permanent absorption or or direct recruitment or contract.	(*a*) Post Graduate degree in Finance from a recognized Institution/ University ; (*b*) 12 years professional experience as a Financial advisor or analyst in a big commercial organisation (preferably in electricity industry) on a Senior Executive postion; (*c*) Officers holding analogous post with above experience or officers with 5 years regular service in any P. S. U. or Central/ State Govt. in the post carrying pay scale of Rs. 12500-19100 or equivalent with above experience; (*d*) Experience in the development of tariff in power sector utilities; (*e*) Strong computer skills; (*f*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Doctorate Degree in Finance or equivalent; (*b*) Demonstrated capabilities in analytical modeling and economic analysis ; (*c*) Experience in regulatory accounting and general business accounting.

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Dy. Director Tariff (Engg.).	Class-I (Gaz.).	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Bachelor Degree in Electrical/ Power Engineering or equivalent from a recognised University ; (*b*) Years of experience in large power utility generation, transmission and distribution facilities; (*c*) Officer holding analogous post with above experience, or 5 years regular service in C. P. S. U./ S. P. S. U./ Central/State Govt. with the above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7750—14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent; (*d*) Experience in develoment of tariff, commercial issues and power purchase agreements, or direct operational experience in transmission and distribution; (*e*) Strong computer skills and literacy; (*f*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Post Graduate Degree in Electrical/ Power/Engineering or M. B. A. in power management from a recognised University; (*b*) Knowledge of economics and financial matters; (*c*) Experience in commercial issues, power purchase agreements analytical modeling and electricity laws; (*d*) Familiarity with electricity tariff issues.

17.	Dy. Director Tariff (Economics).	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Post Graduate degree in Economics or qualified Chartered Accountant or Qualified Cost and Works Accountant from a recognised University/Institution; (*b*) 7 years experience as a professional Economist in a big commercial organisation (preferably in electricity industry) on a Senior Executive positions ; (*c*) Officers holding analogous post with above experience or 5 years regular service in any PSU/Central/State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7750—14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent with above experience ; (*d*) Experience in the development of tariff in power sector utilities ; (*e*) Strong computer skills and literacy; (*f*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Doctorate Degree in Economics or equivalent; (*b*) Demonstrated capabilities in analytical modeling and economic analysis ; (*c*) Experience in regulatory accounting and general business accounting.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Dy. Director Tariff (Finance).	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) BBA with post-graduate degree in Finance or MBA in finance from a recognised University ; (*b*) 7 years experience in large power utility (preferably in electricity Industry) on a Senior Executive position; or (*c*) Officers holding analogous post with above experience or 5 years regular service in any PSU/Central/ State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7750—14500 with initial start of Rs. 8550/- or equivalent ; (*d*) Experience in the development of tariff in power sector utilities ; (*e*) Strong computer skills and literacy. (*f*) Good written and verbal communication skills	(*a*) Doctorate in Finance or equivalent from a recognised University; (*b*) Demonstrated capabilities in analysis and development of tariff in power sector; (*c*) Experience of working in regulatory bodies.

19.	Executive Director Director (Law).	Class-I(Gaz.)	18600-500-23100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Degree in law from recognised University/ Law School ; (*b*) Eligibility to practise in Law ; (*c*) 15 years of professional experience of handling legal matters ; or (*d*) Officer holding analogous posts or officers with two years regular service in the post carrying the pay scale of Rs. 16750-400-19150-450-21850-500-22850, or 3 years regular service with above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 15800—21100 or equivalent ; (*e*) Excellent written and verbal communication skills and specialisation on the subjects of Administrative, Contract and Commercial laws.	(*a*) Post Graduate Degree in Law ; (*b*) Adequate knowlegde of regulatory laws/ procedure ; (*c*) Experience in legal advice and interpretation and drafting of statutes/ regulations /legislation; (*d*) Experience in preparation/ vetting and authentication of Hindi text of Acts, Rules and Regulations etc.; (*e*) Knowledge of Vidhan Sabha Rules of Procedure and Conduct of Business especially relating to laying of copies of Rules and Regulations and the Annual Administrative Reports on the table of house ; (*f*) Computer literacy.

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Joint Director (Judicial).	Class-I (Gaz.)	13500-400-15900-450-16800.	1	Deputation or permanent absorbtion or direct recruitment or contract.	(*a*) Degree in Law from recognised University/ Law School; (*b*) Eligibiltity to practise in Law ; (*c*) 12 years of professional experience of handling legal matters or similar experience under Central/State Government or PSU ; (*d*) Officers holding analogous post or equivalent or officers with 5 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 10025—15100 or equivalent ; (*e*) Excellent written and verbal communication skills.	(*a*) Post Graduate Degree in Law ; (*b*) Adequate knowledge of regulatory laws/ procedure ; (*c*) Experience of handling legal matters in similar position in Central Govt./State Govt. or in any PSUparticularly in area of legal advice and interpretation and drafting of statutes/ regulations / Legislations and commercial agreements and documents ; (*d*) Computer literacy.

21.	Joint Director (Opinion & Drafting).	Class-I(Gaz.)	20-15900-450-16800.	1	Deputation or parmanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Degree in Law from recognised University/Law School ; (b) Eligibility to practise in Law; (c) 12 years of professional experience of handling legal matters or similar experience under Central/State Government or in any PSU; (d) Officer holding analogous post in any of the CPSU/ SPSU or Central/ State Govt. or officer with two years professional experience in the post carrying the pay scale Rs. 10025--15100 or equivalent ; (e) Excellent written verbal communication skills.	(a) Post Graduate degree in Law ; (b) Adequate knowledge of regulatory laws/procedure; (c) Knowledge and experience particularly on power sector reforms ; (d) Experience of handling legal matters in similar position in Central Govt./State Govt. or in any PSU particularly in area of legal advice drafting of statutes, regulations, legislations ; (e) Experience in preparation, vetting of Bills, Rules, Regulations vetting of commercial agreements/deeds & authentication of Hindi texts thereof ; (f) Knowledge of Vidhan Sabha Rules of Procedure and Conduct of Business; (g) Computer literacy.

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Senior Law Officer (Judicial).	Class-I (Gaz.)	10700-350 12100-400-14900-450-15350.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Degree in Law from recognised University/ Law School ; (*b*) Eligibility to practise in Law ; (*c*) Minimum of 7 years experience in legal practice ; (*d*) Officers holding analogous post in CPSU/SPSU/ Central/State Govt. or 5 years experience as Deputy District Attorney or Assistant District Attorney under the Central/ State Govt. or Statutory Bodies/ PSUs or in the post carrying the pay scale of Rs. 7220—11660 or equivalent with the above experience; (*e*) Excellent written and oral communication skills ; (*f*) Computer literacy.	(*a*) Experience in Regulatory laws; (*b*) Demonstrated knowledge or experience in power sector ; (*c*) Litigation experience ; (*d*) Experience in contract or administrative law ; (*e*) Knowledge of Hindi.
23.	Senior Law Officer (Drafting & Official (Language).	Class-I(Gaz.)	10700-350-12100-14900-450-15350.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Degree in Law from recognized University/Law School ; (*b*) Minimum of seven years experience in drafting and vetting of Acts,	(*a*) Experience in Regulatory law ; (*b*) Demonstrated knowledge or experience in power sector ; (*c*) Litigation experience ;

					Rules and Regulations and preparation of Hindi texts thereof as a Law Officer under the State/Central Govt. or statutory bodies/PSUs ; (c) Officers holding analogous post in CPSU/SPSU or Central/State Govt. or 5 years experience in the post carrying in the pay scale of Rs. 7220—11660 or equivalent ; (d) Excellent written and oral communication skills ; (e) Computer literacy.	(d) Experience in contract or administrative law; (e) Knowledge of Hindi ; (f) Legal experience in interpretation and drafting of statutes (Bills, Rules, Regulations) and drafting of Agreements/Deeds.
24. Reader	Class-I(Gaz.)	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Degree in Law from a recognized University/ Law School ; (b) Atleast 3 years administrative or professional experience in the Government/ Judicial/Quasi-Judicial body ; (c) Computer Literacy; (d) Proficiency in written and verbal communication skills both in Hindi and English.	Expereience in Utility or Regulatory law.

1	2	3	4	5	6	7	8
D-Administrative and Information Technology Division :							
I—Administration Sub-Division							
25.	Dy. Secretary (P & A)	Class-I(Gaz.)	12900-400-14900-450-16700	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Degree from the recognised University with Post Graduate Diploma in Personnel Management & Labour Welfare/ Industrial Relations ; (*b*) 10 years professional experience in the field of personnel management and administrative matters in Govt. departments, PSUs or in autonomous bodies at executive/administrative level ; (*c*) Officer holding analogous posts with the above experience, or 5 years experience preferably in the post carrying the pay scale of Rs. 10700-15350 or its equivalent ; (*d*) Computer literacy.	(*a*) Personnel and administrative experience in the managerial capacity in any State/Central Govt. or PSU or in autonomous bodies ; (*b*) Sound knowledge of skills, procedures relating to personnel and service matters ; (*c*) Excellent inter personnel and communication skills ; (*d*) The candidate possessing Degree of MBA or LLB shall be preferred.
26.	Dy. Director (Media)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Master's Degree in relevant discipline *i.e.* journalism, mass communication from a recognized University;	(*a*) Direct experience in two or more firms in the business of media (Press, TV, Radio and

				(*b*) 7 years of professional experience in journalism, mass communication ; (*c*) Officer holding analogous posts or 5 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 10700-15350 its equivalent with the above experience; (*d*) Background in financial or economic writing/ analysis ; (*e*) Significant experience in preparing and delivering public presentations ; (*f*) Computer skills, especially word processing data base and presentation programmes ; (*g*) Excellent written and verbal communication skills.	multi media). (*b*) Knowledge of electricity industry; (*c*) Experience in writing corporate and organizational annual reports.	
27. Dy. Director (Consumer Affairs)	Class-I(Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate Post degree in arts/science/ business administration or Graduate Degree in Law or engineering from a recognised University ;	Should be familiar with commercial, economic and traiff issues of a public Utility engaged in generation, transmission and distribution of electricity.

1	2	3	4	5	6	7	8
						(*b*) 10 years experience in large public Utility with generation, transmission and distribution functions and Five years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 10700-15350 or its equivalent. (*c*) Officers holding analogous posts with experience ; (*d*) Computer literacy ; (*e*) Excellent written and verbal skills.	
28.	Personnel-Cum-Admn. Officer [To be redesignated as Under Secretary) (P & A).	Class-I (Gaz.)	10700-350-12100-400-14900-450-15350	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate Degree with PG Diploma in personnel management/ human resources from recognised University ; (*b*) 7 years professional experience in personnel and human resource management / administration in CPSU/SPSU or Central State Govt.; or	(*a*) MBA in personnel management or LLB ; (*b*) Administrative experience in managerial capacity or disbursing officer in Central/State Govt. ; (*c*) Sound knowledge in service matters ; (*d*) Familiarity with computerized data stream and personnel suites.

					(c) Officer holding analogous posts in CPSU/SPSU/ Central / State Govt. or 5 years regular service in the post carrying the pay scale of Rs. 7500-13700 or equivalent with experience mentioned at above ;		
					(d) Excellent written and verbal communication skills.		
29.	Sr. Accounts Officer	Class-I(Gaz.)	10700-350-12100-400-14900-450-15350.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Graduate degree in Economics or Finance or comerce or Accountancy or Charted Accountant ; (b) 7 years professional experience in Finance Analysis/Accountancy; (c) Officers holding analogous posts in CPSW/SPSU/Central/State Government or 5 years regular service in CPSU / SPSU/ Central / State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7500-13700-8550 - 14100	(a) Knowledge of Macro Economics; (b) Knowledge of cost analysis and accounting fro enterprises, subject to Companies Act, and Govt. entities.

1	2	3	4	5	6	7	8
						or equivalent in pay scale with the experience mentioned at (*b*) above ; (*d*) Computer literacy ; (*e*) Good verbal and written communication skills.	
30.	Sr. Private Secretary	Class-I (Gaz.	10700-350-12100-400-14900-450-15350.	1	Deputation or peranent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate degree from a recognised University ; (*b*) Well versed in computerised word processing; (*c*) Proficiency in short hand and typing ; (*d*) Holding analogous post in Central/ State Govt./ PSU or 3 years of service in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-13300 or equivalent with with above experience ; (*e*) Good communication skills.	(*a*) Experience of working as P.S. to Chief Executive for 2 years in State Govt. or PSU or Statutory bodies ; (*b*) Diploma in office management and Secretarial procedure.
31.	Section Officer	Class-II(Gaz.)	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350 12100-400-13300.	I	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate Degree from a recognised University; (*b*) Holding analogous post in the State/Central Govt.	(*a*) Adequate experience in service accounts matters and sound know ledge of establishment matters ;

					or PSU or 3 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 7000-11750 in Administration or Finance or 7 years similar experience in the post carrying the pay scale of Rs 6300-10700 ; (c) Well versed with computerised word processing.	(d) Proficiency in written and verbal communication skills ; (c) Diploma in office or personnel management.
32. Private Secretary	Class-II(Gaz)	7750-250-8000-275-9100-300-10000-350-12100-400-13300.	5	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Graduate degree from a recognised University ; (b) Well versed in computerised word processing ; (c) Proficient in short handand typing ; (d) Holding analogous post in the Central/State Govt. / PSU or 3 years experience the post carrying the pay scale of Rs. 7250-11500 or equivalent with the above experience.	(a) Experience of working as personal assistant to HOD for 5 years in Central/ State Govt. or any PSU or Statutory bodies; (b) Diploma in office management and secretarial procedure.
33. Personal Assistant	Class-III	7250-250-8000-275 9100-300-10000-350-11400.	7	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(a) Graduate degree from a recognised University ; (b) Well versed in computerised word processing ; (c) Proficient in short hand and typing ;	(a) Experience of working as personal assistant to HOD for 5 years in Central/ State Govt. or any PSU/Statutory bodies.

1	2	3	4	5	6	7	8
						(*d*) Official Holding analogous post in the Central/ State Govt./ PSU or 3 years experience in the post carrying the pay scale of Rs. 6750-11050 in CPSU/SPSU or Central/ State Govt. or equivalent.	(*b*) Diploma in Office management and secretarial procedure.
34.	Sr. Scale Stenographer-*cum*-Computer Operator.	Class-III	6750-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050.	8	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate with proficiency in typing (40 W.P.M.), shorthand (80 W.P.M.) and computing (8000 KDPM) (*b*) Diploma in typing and shorthand from a recognised institution or (*c*) Official holding analogous post in Central / State Govt./PSU or 3 years service as in in the post carrying the pay scale of Rs. 6100-9400 in the Central/ State Govt. or any PSU/Statutory bodies involving exposure to com-	Diploma certificate in management and secretariat procedure or quivalent from a recognised/ reputed institution.

35. Superintendent (Accounts)	Class-III	6750-[illegible]- (8000-275-9100-300-10000-350-11050.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate with proficiency in typing, computing, drafting, accounting/ financial matters and office procedures; (*b*) Well versed in official rules and regulations. maintenance of Office records ; (*c*) Holding analogous post in State Govt./Centre Govt./PSU Corporations or Boards or 3 years regular service in CPSU/ SPSU/ Central/ State Govt. with above experience in the post carrying the pay scale of Rs. 6300 -10700 or equivalent.	(*a*) Commerce Graduate shall be preferred; (*b*) Good written and verbal communication skills ; (*c*) Strong computer skills and literacy.
36. Librarian	Cass-III	6570-250-8000-275-9100-300-10000-350-11050.		Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate in library science from a recognised University or equivalent ; (*b*) Person holding analogous post or 5 years regular service in the post carrying the pay scale of 6300-10700 with experience of handling large libraries ;	Experience in scientific and computerized library management.

1	2	3	4	5	6	7	8
						(*c*) Excellent communication skills.	
37.	Senior Assistant *cum*-Computer Operator.	Class-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10000-350-10700.	6	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate with proficiency in typing, comput-, ing drafting, accounting/ financial matters and office procedures ; (*b*) Well versed in official rules and regulations maintenance of office records ; (*c*) Holding analogous post in State Govt./Central Govt./ PSU/ Statutory bodies or those persons with 8 years regular service in clerical cadre including as Jr. Asstt. in CPSU/SPSU or Central/State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 4600-7250/4400-7000 or equivalent.	(*a*) Diploma in Office Management or Personnel Management ; (*b*) Diploma or certificate course in computer application, or 3 years working experience in computer operation.
38.	Cashier (Sr. Assistant).	Class-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-1000-350-10700.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate with proficiency in typing, comput ing, drafting, accounting, finan cial matters and	(*a*) Commerce graduate or Diploma in financial management from a recognized University;

					office procedures; (*b*) Well versed in official rules and regulations, maintenance of office records ; (*c*) Holding analogous post in State Government/Central Govt./PSU/Statutory Bodies or 8 years regular service in clerical cadre including as Jr. Asstt. in the post carrying the pay scale of Rs. 4600-7250/4400-7000 in CPSU/SPSU or Central/State Govt. or equivalent, out of which at least 3 years experience should be exclusively in accounting procedure in any Govt. or PSU/ Statutory bodies.	(*b*) Diploma or certificate course in computer application, or 3 years working experience in computer operation.	
39.	Jr. Assistant-*cum*-Computer Operator.	Class-III	4600-175-5300-200-6500-250-7250.	2	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Graduate with proficience in typing, computing, drafting, accounting/financial matters and office procedures ; (*b*) Well versed in official rules and regulations and maintenance of office records ;	Diploma Certificate Course in office management or computer application or 1 year working experience in computer operation and application.

1	2	3	4	5	6	7	8
						(*c*) Holding analogous post in State Govt./ Central Govt./ PSU/Statutory bodies or 3 years regular service in the post carrying the pay scale of Rs. 3480-6500 in CPSU/SPSU or Central/State Govt. or equivalent.	
40. Driver		Class-III	4600-175-5300-200-6500-250-7250.	7	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract,	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education ; (*b*) Should possess light vehicle licence ; (*c*) 3 year experience in driving light vehicles both in Hilly/Metropolitan areas ; (*d*) Should possess sufficient knowledge about traffic rules, maintenance of vehicles and should be able to undertake minor repair works required for normal running of the vehicles ; (*e*) His eye-sight should be normal.	Should possess sound health.

41. Receptionist	Class-III	3480-130-4000-150-4600-175-5300-200-6500	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Must have passed 10+2 from a recognised Education Board ; (*b*) Must have basic knowledge in computer operations ; and (*c*) Should have experience in reception, care taking, EPABX, intercom connection.	Should have worked in Govt. Department, PSU or Statutory body.
42. Ahlmad	Class-III	3480-130-4000-150-4600-175-5300-200-6500	1	Deputation or permanent absorption or direct. recruitment or contract.	(*a*) Must have passed 10+2 from a recognised Education Board ; (*b*) Must have basic knowledge in computer operations ; and (*c*) Should have 3 years experience of working in judicial courts/statutory bodies, as a record keeping or 5 years experience as a Peon/Process Server.	Should have worked in Govt. Department, PSU, Judicial Court s or Statutory Bodies.
43. Daftri	Class-IV	2930-110-3480-4000-150-4600-175-5300.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education ; (*b*) Good physique ; (*c*) 5 years experience as peon/Process Server in the post carrying the pay scale of Rs. 2720-4775 or equivalent in C P S U/SPSU/Central/State Govt.	

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	Jamadar/Havildar	Class-IV	2930-110-3480-4000-150-4600-175-5300.	5	Deputation or permanent abosorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Matriculation from recognized Board of School Education ; (*b*) Good physique. (*c*) 5 years experience as Peon/ Process Server in the post carrying the pay scale of Rs. 2720-4775 or equivalent in CPSU/SPSU/Central/ State Govt.	
45.	Peon	Class-IV	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.	8	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Matriculation from recognised Board School Education; (*b*) Good physique.	
46.	Process Server	Class-IV	2720-100-2930-110-3480-130-4000-150-4600-175-4775.	2	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Matriculation from recognised Board of School Education ; (*b*) Good physique.	
II—Information Technology Sub-Division :							
47.	Director (IT & Statistic)	Class-I (Gaz.)	15800-450-17600-500-21100.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) B.Tech./BE in Computer Science or Engineering or MCA or equivalen from a recognised University ; (*b*) 12 years experience on Executive Post in a reputed	(*a*) M/Tech. / ME in Computer Science or Engineering from recognised University; (*b*) Experience of one full system implementation

					organisation or industry in the area of information technology, MIS, development of software relating to data banks including managerial responsibilities; (*c*) Officer holding analogous posts with the above experience, or 5 years regular service with the above experience in CPSU/SPSU or Central/ State Govt./ Statutory bodies in the post carrying the pay scale of 12500-19100 or equivalent ; (*d*) Excellent written and verbal communication skills.	of Enterprise Resource Planning (ERP), knowledge and skills in Oracle, SQL, Fox Pro, Oracle application, UNIX. Visual Basic HTML, Java Script; (*c*) Experience of working in power regulatory bodies.	
48.	Dy. Director (IT & Stat.)	Class-I (Gaz.)	12500-400-14900-450-17600-500-19100	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) B. Tech./BE in Computer Science or Engineering or equivalent from a recognised University ; (*b*) 7 years experience on Executive post in a reputed organisation or industry; (*c*) Officers holding analogous posts with above experience or 5 years	(*a*) M. Tech. (Computer Science and Engineering) or Master Degree or Post Graduate Diploma in Computer Science or equivalent from recognised University ; (*b*) Experience of one full system implementation of Enterprise

1	2	3	4	5	6	7	8
						regular service in the area of information technology and mass communication technology including managerial responsibilities in the post carrying the pay scale of Rs. 7750-14500with in initial start of Rs. 8550/- or equivalent with the above experience ; (*d*) Strong Computer skills and literacy ; (*e*) Good written and verbal communication skills.	Resource Planning (ERP), knowledge and skills in Oracle, SQL, Fox Pro, Oracle application UNIX, Visual, Basic HTM JAVA Script ; (*c*) Experience of working in power regulatory bodies.
49.	Software Engineer	Class-I (Gaz.)	7750-200-8000-275-9100/10350-350-12100-400-14500 with initial start of Rs. 8550.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract. contract.	(*a*) Degree in Computer Science/ Information Technology or MCA from a recognised University ; (*b*) 3 years experience in a reputed I.T. Industry or organisation in the field of computer science or Officer holding analogous post or 3 years regular service in—CPSU/	(*a*) Post Graduate qualification in Computer Science & IT with professional experience of working in regulatory bodies; (*b*) Project work in RDMBS or Web enabled projects; (*c*) 2 years experience in operation and maintenance of LAN in large organisation.

					SPSU/Central/State Govt./in the post carrying pay scale of Rs. 7220-11660 or equivalent; (*c*) Strong Computer skills and literacy ; (*d*) Good written and verbal communication skills.	
50. Programmer	Class-I(Gaz.)	7750-200-8000-275-9100/10350 350-12100-400-14500 with initial start of Rs. 8550.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) B. Tech./BE Degree in Computer or Science Engineering or equivalent or MCA from a recognised University; (*b*) 3 years experience in a reputed I.T. industry or organisation in the field of Computer Science or Officer analogous post or 3 year regular service in CPSU/ SPSU/Central/ State Govt. in the post carrying the pay scale of Rs. 7220-11660 or equivalent ; (*c*) Strong Computer skills and literacy ; (*d*) Good written and verbal communication skills.	(*a*) Post Graduate qualification in Computer Science/IT with professional experience of working in regulatory bodies.

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	J.E. (Electrical)	Class-III	6300-200-6500-250-8000-275-9100-300-10000-350-10700.	1	Deputation or permanent absorption or direct recruitment or contract.	(*a*) Diploma in Electrical Engg. from a recognized Institution ; (*b*) 3 years experience in power sector, or person holding analogous post in CPSU/SPSU/ Central/State Govt./Statutory bodies with 3 years experience ; (*c*) Good written and verbal communication skills.	Familiarity in working with Computers.

SCHEDULE-III

(*See* regulation 13)

COMPETENT AUTHORITY FOR DISCIPLINARY AND APPEALS/REVISIONS

For Class—I & II Officers

1.	Disciplinary Authority	Chairperson
2.	Appellate Authority	Commission
3.	Reviewing Authority	Commission

For Class-III & IV Officials/Employees

1.	Disciplinary Authority	Commission Secretary
2.	Appellate Authority	Chairperson
3.	Reviewing Authority	Commission